शाखा लाइसेंसीकरण पर मास्टर परिपत्र - क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (आरआरबी)

विषय-सूची

पैरा सं.	ब्योरा
I	प्रस्तावना
II	शाखा लाइसेंसीकरण नीति
1	शाखाएं खोलना
2	शाखाओं का स्थान बदलना
3	शाखाओं का परिवर्तन
4	विस्तार कांउटरों को पूर्ण शाखा के रूप में उन्नत करना
5	शाखाओं का विलयन
6	विस्तार काउन्टर
7	अनुषंगी (सेटेलाइट) कार्यालय
8	चलते-फिरते (मोबाइल) कार्यालय
9	स्वचालित टेलर मशीन (एटीएम)
10	सेवा शाखा/ केंद्रीय प्रक्रमण केंद्र/ पश्च कार्यालय
11	क्षेत्रीय कार्यालय
12	कारोबार सुविधा प्रदाता / कारोबार प्रतिनिधि मॉडेल
III	केन्द्रों का वर्गीकरण / पुनः वर्गीकरण
IV	विवरणियाँ प्रस्तुत करना
	अनुबंध I- फॉर्म VI - कारोबार का नया स्थान खोलने की अनुमति के लिए आवेदन पत्र
	अनुबंध II विस्तार काउंटर के लिए अनुरोध के संबंध में बैंक द्वारा प्रस्तुत किये जाने वाले विवरण
	अनुबंध III खोली गयी नयी शाखा /कार्यालय/एनएआईओ का विवरण
	अनुबंध IV जनसंख्या के आधार पर केंद्रों का टीयर वार ब्योरा
	अनुबंध V - तिमाही रिपोर्ट फॉर्मेट - टीयर 2-6 केंद्रों में खोली गई शाखाएं
	परिशिष्ट- मास्टर परिपत्र में समेकित परिपत्रों की सूची

I. प्रस्तावना

बैंकों द्वारा शाखाएं खोलने का कार्य बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 23 के उपबंधों से शासित है। इन उपबंधों के अनुसार, बैंक भारतीय रिज़र्व बैंक के पूर्व अनुमोदन के बिना भारत में अथवा विदेश में कारोबार का नया स्थान नहीं खोल सकते हैं और न ही कारोबार के मौजूदा स्थान को उसी शहर, कस्बे या गांव को छोड़कर अन्यत्र ले जा सकते हैं। बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 23 में यह निर्धारित किया गया है कि इस धारा के अधीन अनुमति देने से पहले रिज़र्व बैंक को धारा 35 के अधीन निरीक्षण के द्वारा या अन्यथा बैंकिंग कंपनी की वित्तीय स्थिति और इतिहास, प्रबंधन का सामान्य आचरण, उसकी पूंजी संरचना की पर्याप्तता, तथा अर्जन की संभावनाएं, और यह कि इसे खोलना लोक हित में होगा इससे संतुष्ट होना आवश्यक है, या जैसा भी मामला हो, कारोबार के विद्यमान स्थान में परिवर्तन किया जा सकता है। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को इस संबंध में ग्रामीण आयोजना और ऋण विभाग, भारतीय रिज़र्व बैंक के संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय से संपर्क करना चाहिए।

II. शाखा लाइसेंसीकरण नीति

i) शाखा लाइसेंसीकरण नीति में देश में सभी श्रेणियों (टियर 1 से 6) में शाखाएं खोलना शामिल है। जनसंख्या के आधार पर टियर-वार वर्गीकरण अनुबंध IV में दिया गया है। टियर 1 में महानगरीय और शहरी केंद्र शामिल हैं; टियर 2, 3 और 4 में अर्ध-शहरी केंद्र शामिल हैं तथा टियर 5 और 6 में ग्रामीण केंद्रों का समावेश है।

ii) क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के निदेशक मंडल से अपेक्षा की जाती है कि वे वार्षिक कारोबार योजना एवं नये केन्द्रों पर शाखाएं खोलने के लिए कारोबार की संभावनाओं, प्रस्तावित शाखाओं की लाभप्रदता, आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की कुशलता, जहां अतिरिक्त स्टाफ चिह्नित किया गया हो वहां उसके पुनर्नियोजन और ग्राहकों को तत्परता से और कम खर्चीली ग्राहक सेवा प्रदान करने जैसी बातों को ध्यान में रखते हुए नयी शाखाएं खोलने के लिए नीति और कार्य योजना बनायें।

iii) क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को शाखाएँ / कार्यालय खोलने / विलयन / स्थान परिवर्तन / परिवर्तन आदि के लिए आवेदन करने से पहले अपने निदेशक मंडल का पूर्व अनुमोदन प्राप्त करना चाहिए। प्रायोजक बैंक के अलग से अनुमोदन की आवश्यकता नहीं है। साथ ही, शाखाएँ खोलने के लिए जिला परामर्शदात्री समिति (डीसीसी) के उप समूह का अनुमोदन भी आवश्यक नहीं होगा। तथापि, शाखाओं के स्थान परिवर्तन / विलयन / परिवर्तन के लिए जिला परामर्शदात्री समिति के उप समूह के अनुमोदन की आवश्यकता होगी।

iv) क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को टीयर 1 केन्द्रों में नई शाखाएं खोलने हेतु भारतीय रिज़र्व बैंक का पूर्व अनुमोदन प्राप्त करना होगा। आवेदनों पर प्रत्येक मामले की गुणवत्ता पर अत्यंत चयनात्मक

आधार पर विचार किया जाएगा। पैरा II(1)(क) में रखी गई शर्तों के अलावा, भारतीय रिज़र्व बैंक क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की समग्र वित्तीय स्थिति, उसके प्रबंधन की गुणवत्ता, आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की दक्षता, सीबीएस अनुपालन तथा अन्य संबंधित घटकों पर गौर करेगा।

v) क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को प्रत्येक मामले में भारतीय रिज़र्व बैंक से पूर्व अनुमति लेने की आवश्यकता के बिना रिपोर्टिंग की शर्त पर टीयर 2 से टीयर 6 केन्द्रों (जन गणना 2001 के अनुसार 99,999 तक की जनसंख्या वाले - टीयर -वार केन्द्रों के वर्गीकरण का ब्योरा अनुबंध IV में प्रस्तुत) में शाखाएं खोलने की अनुमति दी गई है बशर्ते वे पैरा II(1)(ख)(i) में निहित शर्तें पूरी करते हों। ऐसे क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, जो कथित शर्तें पूरी न करते हों, को भारतीय रिज़र्व बैंक के क्षेत्रीय कार्यालय से पूर्व अनुमोदन प्राप्त करना चाहिए।

vi) जिन क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को भारतीय रिज़र्व बैंक से पूर्वानुमोदन प्राप्त करना आवश्यक है, वे बैंकिंग कंपनी नियम, 1949 (अनुबंध- I) के फार्म VI (नियम 12) में निर्धारित आवेदन नाबार्ड के संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय के माध्यम से रिज़र्व बैंक के संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय को प्रस्तुत करने होंगे, जो आवेदन की गुणवत्ता पर अपनी टिप्पणियां देगा। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को आवेदन की अग्रिम प्रति रिज़र्व बैंक के संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय को भेजनी होगी।

vii) आवेदनों के निपटान की प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए रिज़र्व बैंक के क्षेत्रीय कार्यालयों को संबंधित अधिकारप्राप्त समितियां (ईसी) को संदर्भित किए बिना शाखाएं खोलने, स्थान परिवर्तन, विलयन या परिवर्तन के लिए क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के आवेदनों पर निर्णय लेने हेतु शक्तियां प्रदान की गई हैं। आवश्यकता पड़ने पर रिज़र्व बैंक के क्षेत्रीय कार्यालय संबंधित राज्य सरकार से परामर्श कर सकते हैं।

viii) बैंकरहित ग्रामीण केन्द्रों में शाखाएं खोलने में बढ़ोत्तरी करने की आवश्यकता है ताकि शीघ्रता से बैंकिंग प्रवेश और वित्तीय समावेशन के उद्देश्यों को पूरा किया जा सके। यह भी अत्यंत महत्वपूर्ण है कि व्यवसाय प्रतिनिधियों के उपयोग के अतिरिक्त बैंकरहित ग्रामीण केन्द्रों में अधिकाधिक इमारती शाखाएं खोलते हुए सभी गावों में बैंकिंग सेवाएं उपलब्ध कराने हेतु निर्धारित लक्ष्य प्राप्त किए जाएं।

ix) क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को एक वर्ष के दौरान खोली जानेवाली प्रस्तावित शाखाओं की कुल संख्या में से कम से कम 25 प्रतिशत शाखाएं बैंकरहित ग्रामीण (टीयर 5 और टीयर 6) केन्द्रों को आबंटित करनी चाहिए। बैंकरहित ग्रामीण केन्द्र का अर्थ है एक ऐसा ग्रामीण (टीयर 5 और टीयर 6) केन्द्र जहां ग्राहक आधारित बैंकिंग लेन-देनों के लिए किसी अनुसूचित वाणिज्य बैंक का इमारती ढांचा नहीं है।

x) वित्तीय समावेशन को सार्वभौमिक व्याप्ति प्रदान करने अगले चरण में ले जाने के और इलेक्ट्रानिक लाभ अंतरण (ईबीटी) को सुविधाजनक बनाने के उद्देश्य से क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को सूचित किया गया

है कि वे वर्ष 2013-16 की अवधि के लिए आगामी वित्तीय समावेशन योजना (एफआइपी) तैयार करें।

xi) भारत सरकार की प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) / ईबीटी योजना को निर्बाध रूप से चलाना सुनिश्चित करने के लिए क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को अपने एफआईपी (2013-16) के लक्ष्य के साथ-साथ 3 वर्षीय चक्र में बैंकरहित ग्रामीण केंद्रों में शाखाएं खोलने को प्राथमिकता (फ्रंट लोडिंग) देने पर विचार करना चाहिए ताकि बैंकरहित ग्रामीण केंद्रों में तेजी से शाखा विस्तार में सुविधा हो। वर्ष के दौरान खोली जाने वाली प्रस्तावित शाखाओं की कुल संख्या के कम से कम 25 प्रतिशत शाखाएं बैंकरहित ग्रामीण केंद्रों (टीयर 5 और टीयर 6) में खोलने की अपेक्षा जारी रहेगी। बैंकरहित ग्रामीण केंद्रों में वर्ष में 25 प्रतिशत से अधिक खोली गई शाखाओं के लिए क्रेडिट दिया जाएगा, जिसे एफआईपी के अगले वर्ष में ले जाया जाएगा।

xii) जहां शाखाएँ/ कार्यालय आदि खोलने के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक से पूर्वानुमोदन लेना आवश्यक है, वहां क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को शाखाएँ/ कार्यालय आदि खोलने के लिए प्राधिकार भारतीय रिज़र्व बैंक के संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा दिए जाते हैं। ऐसे प्राधिकार की वैधता अवधि अधिकतम दो वर्ष के लिए है। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों से अपेक्षित है कि वे शाखाएँ/ कार्यालय आदि के लिए बुनियादी सुविधाओं की व्यवस्था करें तथा शाखा/ कार्यालय आदि खोलने से पहले प्राधिकार की वैधता अवधि के भीतर भारतीय रिज़र्व बैंक के संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय से लाइसेंस प्राप्त करें।

xiii) जहाँ वह शाखा स्थित है, उस गली / मार्ग का नाम परिवर्तित होनेके मामलों में, चूंकि शाखा के स्थित होने के स्थान में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, अतः क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को ऐसे मामले में लाइसेंस में संशोधन करने के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक से अनुरोध अथवा सम्पर्क करने की आवश्यकता नहीं है। वे केवल भारतीय रिज़र्व बैंक के संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय (आरपीसीडी) और डीएसआईएम, मुम्बई को इस परिवर्तन से अवगत करा दें। तालुक / जिले के नाम में परिवर्तन होने अथवा जिलों के पुनर्गठन अथवा नए राज्यों के बनने से भी परिवर्तन हो सकते हैं। ऐसी स्थितियों में भी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को संबंधित लाइसेंस क्षेत्रीय कार्यालय को भेजने की आवश्यकता नहीं है, वे सरकार की अधिसूचना के आधार पर भारतीय रिज़र्व बैंक के संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय (आरपीसीडी) और डीएसआईएम, मुम्बई को सूचित करते हुए, परिवर्तित नाम अपना सकते हैं।

xiv) यदि नाम में कोई परिवर्तन इस आशय से किया जाना हो कि उसी स्थान पर एक ही नाम की विभिन्न बैंकों की शाखाओं में होने वाले भ्रम को दूर किया जा सके अथवा किन्हीं अन्य न्यायोचित स्थितियों में नाम में परिवर्तन किया जाना हो तो ऐसे अनुरोध भारतीय रिज़र्व बैंक के संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय (आरपीसीडी) को भेजे जाएँ और ऐसे अनुरोध भेजते समय संबंधित लाइसेंस और अग्रेषण पत्र भी साथ भेजे जाएँ।

1. शाखाएं खोलना

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को टीयर 1 केंद्रों में शाखाएं खोलने के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक से पूर्वानुमोदन लेना आवश्यक है। उनके आवेदनों पर विचार किया जाएगा, बशर्ते वे निम्नलिखित शर्तों को पूरा करते हों:

- सांविधिक चलनिधि अनुपात (एसएलआर) और प्रारक्षित नकदी निधि अनुपात (सीआरआर) बनाए रखने में पिछले दो वर्षों में चूक नहीं की गई हो;
- परिचालनगत लाभ अर्जित किए जा रहे हो;
- उसकी निवल संपत्ति में सुधार हुआ हो; तथा
- उसका निवल एनपीए अनुपात 8 प्रतिशत से अधिक न हो।

(ख) (i) क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को टीयर 2 से टीयर 6 केंद्रों (वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार 99,999 तक जनसंख्या वाले) में प्रत्येक मामले में भारतीय रिजर्व बैंक की अनुमति लेने की आवश्यकता के बिना रिपोर्टिंग की शर्त पर शाखाएं खोलने की अनुमति है, बशर्ते वे अद्यतन निरीक्षण रिपोर्ट के अनुसार निम्नलिखित शर्तें पूरी करते हों :

- उनका सीआरएआर कम से कम 9 प्रतिशत हो;
- उनकी निवल अनर्जक आस्तियाँ 5 प्रतिशत से कम हों ;
- पिछले वर्ष सीआरआर/ एसएलआर के रखरखाव में कोई चूक नहीं हुई हो;
- पिछले वित्तीय वर्ष के दौरान निवल लाभ हुआ हो;
- सीबीएस सुनम्य हो।

(ii) सामान्य अनुमति के अंतर्गत टीयर 2 से टीयर 6 तक के केंद्रों में शाखाएं खोलने के लिए पात्र क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक कार्योत्तर स्वतः लाइसेंस जारी किये जाने के लिए रिज़र्व बैंक के क्षेत्रीय कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं। उक्त लाइसेंस इस प्रकार से खोली गई शाखाओं के परिसर में प्रदर्शित किया जाना चाहिए, ताकि ग्राहकों / जनता के मन में यह विश्वास जगे कि उक्त बैंक शाखा बैंकिंग कारोबार करने के लिए प्राधिकृत है।

(iii) जो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक पात्र नहीं हैं, उन्हें टीयर 2 से 6 केंद्रों में शाखाएं खोलने के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक से पूर्वानुमति लेने के लिए आवेदन करना आवश्यक है। उनके आवेदनों पर विचार किया जाएगा, बशर्ते वे पैरा II(1) (क) में निर्धारित शर्तों को पूरा करते हों।

2. शाखाओं का स्थान बदलना

ग्रामीण केन्द्रों पर

(क) क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक ग्रामीण केन्द्रों में शाखाओं का स्थान बदलने का कार्य रिज़र्व बैंक के पूर्व अनुमोदन के बिना इस शर्त के अधीन कर सकते हैं कि मौजूदा और प्रस्तावित दोनों केन्द्र उसी खंड (ब्लॉक) के अंदर हों और यह भी कि नये स्थान पर ले जाई गई शाखा उन गांवों की बैंकिंग आवश्यकताओं को पर्याप्त रुप से पूरा करेगी, जिन्हें मौजूदा शाखा सेवा प्रदान कर रही थी।

शहरी / महानगरीय/ अर्ध शहरी केंद्रों पर

(ख) (i) क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शहरी / महानगरीय/ अर्ध शहरी केंद्रों पर भारतीय रिज़र्व बैंक के पूर्व अनुमोदन के बिना उसी इलाके (लोकेलिटी) / नगरपालिका वार्ड के अंदर अपनी शाखाओं का स्थान बदल सकते हैं। तथापि यह सुनिश्चित करना होगा कि स्थान बदलने के कारण वह इलाका /वार्ड बैंक सेवारहित न हो जाये।

(ii) अर्ध शहरी / शहरी / महानगरीय केन्द्रों में इलाके / म्युनिसिपल वार्ड से बाहर शाखाओं का स्थान बदलने के संबंध में, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को भारतीय रिज़र्व बैंक के संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय से पूर्वानुमोदन प्राप्त करना होगा।

(ग) क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक ऊपर निर्दिष्ट किए अनुसार शाखाओं का स्थान परिवर्तन कर सकते हैं लेकिन वे यह सुनिश्चित करें कि लाइसेंस में शाखा का नया पता सम्मिलित करने के लिए लाइसेंस भारतीय रिज़र्व बैंक के संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय को यथाशीघ्र, लेकिन शाखा के स्थान परिवर्तन की तारीख से तीन माह के भीतर प्रस्तुत किया जाता है।

(घ) तथापि, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि जो शाखा अन्यत्र शिफ्ट की जा रही है, उसके ग्राहकों को शाखा की वास्तविक शिफ्टिंग से काफी पहले ही इसकी सूचना दे दी गई है, ताकि उन्हें होने वाली असुविधा से बचा जा सके।

3. शाखाओं का परिवर्तन

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक ग्रामीण केन्द्रों में अपनी हानि वाली वर्तमान शाखाओं को अनुषंगी(सैटेलाइट) / चलते-फिरते (मोबाइल) कार्यालय में परिवर्तित करने की जरुरत पर लागत-लाभ पहलू, विद्यमान ग्राहकों को होनेवाली असुविधाओं, जिला ऋण योजना तैयार करने में कार्यनिष्पादन पर परिवर्तन के प्रभाव तथा प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र को ऋण प्रदान करने जैसी बातों को ध्यान में रखकर स्वयं निर्णय लें। ग्रामीण क्षेत्रों में बेहतर सेवा प्रदान करने के लिए क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अधिकारप्राप्त समिति की सहमति से अपने सेटेलाइट कार्यालयों को परिपूर्ण शाखाओं में भी परिवर्तित कर सकते हैं और उन्हें रिज़र्व बैंक के संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय (ग्राआऋवि) से आवश्यक लाइसेंस भी प्राप्त करने होंगे।

4. शाखाओं का विलयन

जहां किसी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की घाटे में चल रही दो शाखाएं एक-दूसरे के निकट (लगभग 5 कि.मी. के अंदर) हों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक स्थानिक अंतर के औचित्य और आस्थापना /परिचालनगत लागत को कम करने के उद्देश्य से ऐसी दो शाखाओं के विलय पर विचार कर सकते हैं।

5. विस्तार काउंटर खोलना

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अपने निदेशक मंडल के अनुमोदन से, भारतीय रिज़र्व बैंक के क्षेत्रीय कार्यालय से लाइसेंस प्राप्त करने के बाद उन संस्थाओं के परिसर में विस्तार काउंटर खोल सकते हैं जिनके वे प्रधान बैंकर हैं। विस्तार काउंटर बड़े कार्यालयों/ फैक्ट्रियों, अस्पतालों, सैन्य यूनिटों, शैक्षणिक संस्थाओं, आवासीय इलाकों, शॉपिंग कॉप्लेक्सों आदि के परिसरों में खोला जा सकता है, जहां ऐसे स्टाफ / कामगारों, विद्यार्थियों की संख्या अधिक हो जिन्हें कार्य समय एकसमान होने और बैंकिंग सुविधाएं निकट उपलब्ध न होने के कारण अपने बैंकिंग लेनदेन करना कठिन हो रहा हो। उपर्युक्त के अलावा, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक भारतीय रिज़र्व बैंक के संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय से लाइसेंस प्राप्त कर लेने के बाद पूजा-स्थलों, बाजार के स्थानों पर भी विस्तार काउंटर खोल सकते हैं। ऐसे मामलों में प्रधान बैंकर होने की शर्त लागू नहीं होगी।

(ख) विस्तार काउंटरों को सीमित स्वरुप के बैंकिंग कारोबार करने चाहिए, जैसे

- जमा / आहरण लेन-देन
- ड्राफ्ट जारी करना और भुनाना तथा डाक अंतरण
- यात्री चेक जारी करना और भुनाना
- गिफ्ट चेकों की बिक्री
- बिलों की उगाही
- अपने ग्राहकों की सावधि जमाराशियों पर अग्रिम (जो विस्तार काउंटर के संबंधित अधिकारी को प्राप्त मंजूरी देने की शक्ति के भीतर हो)
- सुरक्षा जमा लॉकर सुविधा (बशर्ते पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्थाएं की गयी हों)

साथ ही, यदि विस्तार काउंटर सरकारी कारोबार करना चाहता हो तो इसके लिए संबंधित सरकारी प्राधिकारी तथा सरकारी और बैंक लेखा विभाग (डीजीबीए), भारतीय रिज़र्व बैंक, केंद्रीय कार्यालय का पूर्वानुमोदन अपेक्षित होगा।

(ग) क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को विस्तार काउंटर खोलने से पहले लाइसेंस के लिए आवेदन करते समय अनुबंध II में दिये गये फार्मेट के भाग I और II में प्रस्तावित विस्तार काउंटरों का ब्योरा भारतीय रिज़र्व बैंक के संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय (ग्रामीण आयोजना और ऋण विभाग) को प्रस्तुत करना चाहिए।

6. विस्तार काउंटरों को उन्नत करना

(क) क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक को विस्तार काउंटर का स्वयं पूर्ण शाखा के रुप में उन्नत करने के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक के क्षेत्रीय कार्यालय का पूर्व अनुमोदन प्राप्त करना चाहिए। निम्नलिखित शर्तें पूरी होने पर प्रस्ताव पर विचार किया जाता है :

(i) विस्तार काउंटर कम से कम पांच वर्ष से कार्य कर रहा हो;
(ii) पिछले एक वर्ष के दौरान जमा खातों की संख्या 2000 से अधिक हो गई हो;
(iii) पिछले तीन वर्षों की औसत जमाराशि (अर्थात् मासिक आधार पर) 2 करोड़ रुपये से कम न हो।

(ख) जिन प्रस्तावों में उपर्युक्त शर्तों में से कोई शर्त पूर्णतः पूरी नहीं की गयी हो, परन्तु वह संबंधित विस्तार काउंटर शाखा के रुप में अन्यथा परिवर्तन योग्य हो गयी हो, तो ऐसे मामलों के संबंध में प्रत्येक मामले के गुण-दोषों के आधार पर विचार किया जायेगा।

7. अनुषंगी (सेटेलाइट) कार्यालय

सेटेलाइट कार्यालय स्थापित करने के लिए क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को निम्नलिखित दिशा-निर्देशों का पालन करना चाहिए :

(क) आसपास के गांवों में निश्चित परिसरों में सेटेलाइट कार्यालय स्थापित किये जाने चाहिए और उन्हें केन्द्रीय गांव/खंड मुख्यालयों में स्थित आधार शाखा से नियंत्रित और परिचालित किया जाना चाहिए;

(ख) प्रत्येक सेटेलाइट कार्यालय को सप्ताह में कुछ निर्दिष्ट दिनों में (कम से कम दो बार) निर्दिष्ट घंटों के लिए कार्य करना चाहिए;

(ग) सेटेलाइट कार्यालय में सभी प्रकार के बैंकिंग लेनदेन किये जाएं;

(घ) सेटेलाइट कार्यालय के ग्राहकों को आधार ऐसे कार्यालयों के गैर-परिचालन दिनों में शाखा में कारोबार करने की अनुमति दी जाए;

(ड़) यद्यपि प्रत्येक अनुषंगी कार्यालय के लिए अलग लेजर/रजिस्टर/स्क्रोल रखे जा सकते हैं, सेटेलाइट कार्यालय में किये जानेवाले सभी लेनदेन आधार शाखा की खाता बहियों में शामिल किया जाएं;

(च) आधार शाखा से संबद्ध स्टाफ, जिसमें अधिमानतः पर्यवेक्षी स्टाफ का एक सदस्य, कैशियर एवं लिपिक तथा एक सशस्त्र गार्ड शामिल हों, सेटेलाइट कार्यालय में प्रतिनियुक्त किया जाना चाहिए।

(छ) फर्नीचर, मार्गस्थ नकदी के बीमा आदि की पर्याप्त व्यवस्था हो।

8. चलते -फिरते (मोबाइल) कार्यालय

चलते-फिरते कार्यालयों की योजना की परिकल्पना में पूर्णतः संरक्षित वैन के माध्यम से बैंकिंग सुविधाएं प्रदान करना है, जिसमें बैंक के दो या तीन अधिकारियों के बैठने तथा उनके साथ बहियों, नकदी वाली सेफ आदि की व्यवस्था हो। चलता-फिरता यूनिट सेवा के लिए प्रस्तावित स्थानों पर कतिपय निर्दिष्ट दिनों / घंटों के लिए जायेगा। चलता-फिरता कार्यालय क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की किसी शाखा के साथ संबद्ध होगा। इस चलते-फिरते कार्यालय को उन ग्रामीण स्थानों में नहीं जाना चाहिए, जहां सहकारी बैंक सेवा प्रदान कर रहे हैं और जिन स्थानों में वाणिज्य बैंक के नियमित कार्यालयों की सेवाएं उपलब्ध हैं।

9. स्वचालित टेलर मशीन (एटीएम)

(क) क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को उनकी शाखाओं तथा विस्तार काउंटरों, जिनके लिए उनके पास भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी लाइसेंस हैं, पर एटीएम लगाने हेतु भारतीय रिज़र्व बैंक से अनुमति प्राप्त करना आवश्यक नहीं है। तथापि, जब भी किसी शाखा या विस्तार काउंटर पर एटीएम लगाया जाता है तब क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को सांख्यिकी और सूचना प्रबंध विभाग को रिपोर्ट करना चाहिए।

(ख) यदि कोई क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अपने परिचालन क्षेत्र में ऑफ-साइट एटीएम स्थापित करना चाहता हो तो वह उसकी लागत और लाभ का मूल्यांकन करके ऐसा कर सकता है। भारतीय रिज़र्व बैंक से पूर्वानुमोदन की आवश्यकता नहीं है, लेकिन ऐसे एटीएम खोले जाने पर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को भारतीय रिज़र्व बैंक के संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय को तुरंत सूचित करना चाहिए ताकि कारोबार स्थान हेतु औपचारिक प्राधिकार प्राप्त किया जा सके।

10. सेवा शाखा/ केन्द्रीय प्रोसेसिंग केंद्र (सीपीसी) / बैक ऑफिस

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को डाटा प्रोसेसिंग, दस्तावेजों का सत्यापन और उनकी प्रोसेसिंग, चेक बुक, मांग ड्राफ्ट आदि जारी करना जैसे केवल बैंक ऑफिस कार्य तथा उनके बैंकिंग कारोबार से अनुषंगिक कार्य करने के लिए सेवा शाखाएं / केन्द्रीय प्रोसेसिंग केंद्र (सीपीसी) / बैक ऑफिस स्थापित करने की अनुमति दी गई है। ये शाखाएं ग्राहकों से रुबरु नहीं होगी और इन्हें सामान्य बैंकिंग शाखाओं में परिवर्तित होने की अनुमति नहीं होगी। इन शाखाओं को किसी शाखा के समान मान जाएगा और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को भारतीय रिज़र्व बैंक के संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय से आवश्यक लाइसेंस प्राप्त करना होगा।

11. क्षेत्रीय कार्यालय

क) क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को हर 50 शाखाओं के लिए एक क्षेत्रीय कार्यालय खोलने की अनुमति दी जाएगी। 50 तक शाखाओं वाले क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक बिना किसी मध्यवर्ती टीयर के प्रधान कार्यालय के प्रत्यक्ष नियंत्रण में रहेंगे। जहां भौगोलिक / अन्य परिस्थितियों के कारण एक क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा कवर की जानेवाली शाखाओं की संख्या के संबंध में उपर्युक्त मानदंड में छूट की आवश्यकता हो, उन क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के मामले की जांच अधिकार- प्राप्त समिति द्वारा की जायेगी तथा वे केंद्रीय कार्यालय, बैंकिंग विनियमन विभाग को विचारार्थ प्रस्तुत किए जाएंगे।

ख) क्षेत्रीय कार्यालयों को बैंकिंग कारोबार करने की अनुमति नहीं है। तथापि, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों से अपेक्षा की जाती है कि वे ऐसा कार्यालय खोलने/कार्य करने से पहले भारतीय रिज़र्व बैंक के संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय से लाइसेंस प्राप्त कर लें। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक भारतीय रिज़र्व बैंक के अनुमोदन के बिना स्वविवेक से इन कार्यालयों का स्थान परिवर्तन कर सकते हैं अथवा इन्हें बन्द कर सकते हैं / इनका विलयन कर सकते हैं, लेकिन उन्हें यह सुनिश्चित करना होगा कि भारतीय रिज़र्व बैंक के संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय को लाइसेंस यथाशीघ्र, लेकिन स्थान परिवर्तन की तारीख से 3 माह के भीतर, प्रस्तुत किया जाए ताकि उसमें नया पता जोड़ा जा सके। ऐसे कार्यालयों को बंद/ विलय करने के संबंध में, कार्यालय के बंद/ विलय होने के तुरन्त बाद लाइसेंस भारतीय रिज़र्व बैंक के संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय को निरसन के लिए सौंप देना चाहिए तथा भारतीय रिज़र्व बैंक के सांख्यिकी और सूचना प्रबंध विभाग को इसकी सूचना देनी चाहिए।

12. कारोबारी सुविधा-प्रदाता / व्यवसाय प्रतिनिधि मॉडेल

अधिकाधिक वित्तीय समावेशन और बैंकिंग क्षेत्र के आउटरीच की व्यापकता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को इस संबंध में जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार कारोबार सुविधा-प्रदाता/ व्यवसाय प्रतिनिधि मॉडेल का प्रयोग करते हुए वित्तीय और बैंकिंग सेवाएं प्रदान करने में मध्यस्थों का इस्तेमाल करने की अनुमति दी गई है।

(I) कारोबारी सुविधा-प्रदाता नियुक्त करने के लिए दिशानिर्देश

कारोबार सुविधा-प्रदाता मॉडल के अंतर्गत बैंक मध्यस्थों की सेवाओं का उपयोग कर सकते हैं, जैसे:

(क) गैर-सरकारी संगठन (एनजीओ)/ स्वयं सहायता समूह
(ख) किसान क्लब
(ग) सहकारी संस्थाएं
(घ) समुदाय आधारित संगठन
(ङ) कॉर्पोरेट संस्थाओं के आईटी सक्षम ग्रामीण केंद्र

(च) डाक घर
(छ) बीमा एजेंट
(ज) सुचारू रूप से कार्यरत पंचायतें
(झ) ग्रामीण ज्ञान केंद्र
(ञ) कृफि क्लीनिक
(ट) कृषि व्यवसाय केंद्र
(ठ) कृषि विज्ञान केंद्र
(ड) खादी एवं ग्रामोद्योग कमीशन/ खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड इकाइयां

सुविधाप्रदाता सेवाएं उपलब्ध कराने के बैंक के सुभीते के स्तर के अनुसार ऐसी सुविधाओं में (i) उधारकर्ताओं की पहचान और कार्यकलापों का निर्धारण करना; (ii) प्राथमिक सूचना /डेटा के सत्यापन सहित ऋण आवेदनों को एकत्रित करना और आरंभिक प्रक्रमण करना; (iii) बचत तथा अन्य उत्पादों के बारे में जागरुकता पैदा करना तथा पैसे के प्रबंधन के बारे में शिक्षा और सलाह देना तथा ऋण समुपदेशन करना; (iv) आवेदनों का प्रक्रमण करना और बैंकों को प्रस्तुत करना; (v) स्वयं सहायता समूह/संयुक्त देयता समूहों को बढ़ावा देना और उनका विकास करना; (vi) ऋण-मंजूरी के बाद की निगरानी करना; (vii) स्वयं सहायता समूह/संयुक्त देयता समूहों/ ऋण समूहों/ अन्य की निगरानी करना तथा उन्हें सहायता देना; तथा (viii) वसूली के लिए अनुवर्ती कार्रवाई करना शामिल किया जा सकता है।

(II) व्यवसाय प्रतिनिधियों (बीसी) को नियुक्त करने से संबंधित दिशानिर्देश

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक निम्नलिखित दिशानिर्देशों का पालन करने की शर्त पर व्यवसाय प्रतिनिधियों (बीसी) को नियुक्त कर सकते हैं। बैंक अपने निदेशक मंडल के अनुमोदन से व्यवसाय प्रतिनिधि नियुक्त करने के संबंध में नीति निर्धारित कर सकते हैं। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को बीसी की नियुक्ति और कार्यकलापों से उत्पन्न होने वाले संभावित प्रतिष्ठा संबंधी जोखिमों के लिए उपाय करने चाहिए। व्यवसाय प्रतिनिधियों की नियुक्ति से पहले संबंधित व्यक्तियों/ संस्थाओं के संबंध में समुचित सावधानी बरती जानी चाहिए। समुचित सावधानी बरतने की प्रक्रिया के अंतर्गत अन्य बातों के साथ-साथ प्रतिष्ठा/बाज़ार में स्थान, वित्तीय सुदृढ़ता, प्रबंधन और कार्पोरेट गवर्नेंस, नकद संभालने की क्षमता और वित्तीय सेवाएं देने में प्रौद्योगिकी समाधान कार्यान्वित करने की क्षमता जैसे पहलू शामिल होने चाहिए। प्रत्येक बीसी एक आधार शाखा से संबद्ध तथा उसकी निगरानी के अधीन होना चाहिए।

क. पात्र व्यक्ति/संस्थाएं

बैंक निम्नलिखित व्यक्तियों/संस्थाओं को व्यवसाय प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त कर सकते हैं :

(क) व्यक्ति, जैसे, सेवानिवृत्त बैंक कर्मचारी, सेवानिवृत्त शिक्षक, सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारी और भूतपूर्व सैनिक, ऐसे व्यक्ति जो किराना/मेडिकल/ उचित मूल्य दुकानों के स्वामी हैं, ऐसे

व्यक्ति जो पीसीओ ऑपरेटर हैं, भारत सरकार की लघु बचत योजनाओं/ बीमा कंपनियों के एजेंट, ऐसे व्यक्ति जो पेट्रोल पंप के स्वामी हैं, बैंकों से संबद्ध सुसंचालित स्वयं-सहायता समूहों के प्राधिकृत कार्यकर्ता, सामान्य सेवा केंद्र चलाने वाले व्यक्तियों सहित कोई अन्य व्यक्ति;

(ख) सोसाइटी/न्यास अधिनियमों के अंतर्गत स्थापित एनजीओ/लघु वित्त संस्थाएं और धारा 25 कंपनियां;

(ग) परस्पर सहायता प्राप्त सहकारी सोसाइटी अधिनियम/राज्यों के सहकारी सोसाइटी अधिनियम/ बहुराज्यीय सहकारी सोसाइटी अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत सहकारी समितियां;

(घ) डाक घर;

(ङ) गैर-बैंकिंग वित्तीय कपंनियों को छोड़कर भारतीय कंपनी अधिनियम, 1956 के अंतर्गत पंजीकृत ऐसी कंपनियां, जिनके खुदरा केंद्रों का व्यापक जाल हो; और

(च) जमाराशियां न लेने वाली गैर-बैंकिंग वित्तीय कपंनियां (एनबीएफसी- एनडी)

एनबीएफसी- एनडी को निम्नलिखित शर्तों के अधीन बीसी के रूप में नियुक्त किया जा सकता है:

(i) यह सुनिश्चित किया जाए कि बैंक की निधियों और कारोबार प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त एनबीएफसी- एनडी की निधियों को आपस में मिलाया नहीं गया है;

(ii) बैंक तथा एनबीएफसी-एनडी के बीच यह सुनिश्चित करने के लिए एक संविदात्मक करार होना चाहिए कि हितों के सभी संभाव्य टकरावों का समुचित ध्यान रखा गया है;

(iii) क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि एनबीएफसी-एनडी कोई प्रतिबंधक प्रथाएं नहीं अपनाते हैं, जैसे केवल अपने स्वयं के ग्राहकों को बचत या विप्रेषण कार्यों का प्रस्ताव देना। साथ ही, एनबीएफसी-एनडी और बैंक द्वारा प्रस्तावित सेवाओं को जबरदस्ती एक साथ बांध कर न बेचा जाए; तथा

(iv) क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को "गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को वित्तीय सहायता - अतिरिक्त गैर-एसएलआर निधियां" पर दिनांक 15 सितंबर 1998 के हमारे परिपत्र ग्राआक्रवि.बीसी.सं.25/03.05.34/98-99 से मार्गदर्शन प्राप्त करना चाहिए।

ख. बीसी मोडल

कोई व्यवसाय प्रतिनिधि एक से अधिक बैंकों का व्यवसाय प्रतिनिधि हो सकता है, परंतु ग्राहक से संपर्क के स्थलों पर व्यवसाय प्रतिनिधि का खुदरा केंद्र या उप-एजेंट केवल एक बैंक का प्रतिनिधित्व करेगा और उसी की सेवाएं प्रदान करेगा। व्यवसाय प्रतिनिधि के रीटेल आउटलेट या उप- एजेंटों के बीच अंतर-परिचालनीयता की अनुमति निम्नलिखित शर्तों पर दी गई है, बशर्ते जिस बैंक ने व्यवसाय प्रतिनिधि को नियुक्त किया है, उस बैंक के पास उपलब्ध प्रौद्योगिकी अंतर-परिचालनीयता को संबल देती हो:

(i) व्यवसाय प्रतिनिधियों के ऐसे खुदरा आउटलेट या उप-एजेंटों के लेनदेन और अधिप्रमाणन आन-लाइन किए जाएंगे;

(ii) लेनदेन कोर-बैंकिंग सोल्यूशन (सीबीएस) प्लेटफॉर्म पर किए जाएंगे; तथा

(iii) बैंक भारतीय बैंक संघ (आईबीए) द्वारा सूचित की जाने वाली परिचालनात्मक क्रियाविधियों का पालन करेंगे।

ग. बीसी नियुक्त करने की क्रियाविधि

बैंक और व्यवसाय प्रतिनिधि के बीच की संविदा पर लागू शर्तें लिखित करार में स्पष्ट रूप से परिभाषित होनी चाहिए और उनकी कानूनी दृष्टि से पूरी जांच होनी चाहिए। करार बनाते समय बैंकों को भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा 3 नवंबर 2006 को जारी बैंकों द्वारा वित्तीय सेवाओं की आउटसोर्सिंग में जोखिम नियंत्रण और आचार संहिता संबंधी दिशानिर्देश में निहित अनुदेशों का कड़ाई से अनुपालन करना चाहिए। बैंक व्यवसाय प्रतिनिधियों और उनके खुदरा केंद्रों/उप एजेंटों के कार्यों के लिए पूरी तरह जिम्मेवार होंगे।

घ. गतिविधियों का दायरा

गतिविधियों के दायरे में निम्नलिखित शामिल होंगे - (i) उधारकर्ताओं की पहचान, (ii) ऋण आवेदन पत्र एकत्र करना और उनकी प्राथमिक प्रोसेसिंग जिसमें प्राथमिक सूचना/आंकड़ों का सत्यापन शामिल है, (iii) बचत और अन्य उत्पादों के संबंध में जन-जागृति फैलाना तथा धन प्रबंधन के संबंध में शिक्षण और सलाह देना तथा ऋण संबंधी परामर्श देना; (iv) बैंकों को आवेदन पत्र प्रस्तुत करना और उनकी प्रोसेसिंग करना; (v) स्वयं-सहायता समूह/संयुक्त देयता समूह/ऋण समूह/अन्य समूहों को प्रवर्तित करना, प्रोत्साहित करना और उनकी निगरानी करना; (vi) ऋण मंजूरी के बाद निगरानी करना; (vii) ऋण की वसूली के लिए अनुवर्ती कार्रवाई करना; (viii) अल्प मूल्य वाले ऋणों का वितरण करना; (ix) मूल धन की वसूली/ब्याज एकत्र करना; (x) अल्प मूल्य वाली जमाराशियों का संग्रह; (xi) माइक्रो बीमा/म्युचुअल फंड उत्पाद/पैंशन उत्पाद/अन्य थर्ड पार्टी उत्पादों की बिक्री और (xii) अल्प मूल्य वाले प्रेषणों/अन्य अदायगी लिखतों की प्राप्ति और वितरण तथा (xiii) बैंक नोटों और सिक्कों का वितरण करना।

ङ. **'अपने ग्राहक को जानें' (केवाइसी) मानदंड**

1 जुलाई 2010 के मास्टर परिपत्र बैंपविवि. एएमएल. बीसी. सं. 2/14.01.001/2010-11 में वर्णित 'अपने ग्राहक को जानें' और 'धनशोधन निवारण' (एएमएल) सबंधी प्रक्रियाओं तथा इस विषय पर जारी परवर्ती परिपत्रों का सभी मामलों में अनुपालन किया जाना चाहिए। यदि आवश्यक हो तो बैंक खाता खोलने की औपचारिकताओं से संबंधित आरंभिक कार्य के लिए बीसी की सेवाएं ले सकते हैं।

तथापि, बीसी मोडेल के अंतर्गत केवाइसी और एएमएल मानदंडों का अनुपालन सुनिश्चित करने का दायित्व बैंकों का रहेगा।

च. ग्राहकों की गोपनीयता

बैंकों को बीसी के पास उपलब्ध ग्राहक सूचना की सुरक्षा और गोपनीयता सुनिश्चित करनी चाहिए।

छ. सूचना प्रौद्योगिकी मानक

बैंकों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि बीसी द्वारा प्रयुक्त उपकरण और प्रौद्योगिकी उच्च स्तर के हैं ।

ज. दूरी संबंधी मानदंड

बैंकों द्वारा बीसी के खुदरा केंद्र/उप-एजेंट के परिचालनों और गतिविधियों पर पर्याप्त पर्यवेक्षण सुनिश्चित करने के लिए बीसी के प्रत्येक खुदरा केंद्र/उप-एजेंट को एक विशेष बैंक शाखा, जिसे आधार शाखा कहा जाएगा, से संबद्ध करना चाहिए तथा उसे उक्त आधार शाखा के पर्यवेक्षण के अधीन रखना चाहिए। बीसी के खुदरा केंद्र/उप-एजेंट और आधार शाखा के बीच की दूरी सामान्यतः ग्रामीण, अर्ध-शहरी और शहरी क्षेत्रों में 30 कि. मी. और महानगरीय केंद्रों में 5 कि. मी. से अधिक नहीं होनी चाहिए। यदि दूरी संबंधी मानदंड में छूट देने की आवश्यकता हो तो जिला परामर्शी समिति (डीसीसी)/राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति (एसएलबीसी) अपर्याप्त बैंक सुविधा वाले क्षेत्रों आदि में मामले के गुण-दोष के आधार पर छूट देने पर विचार कर सकती है।

बैंकों को परिचालनात्मक लचीलापन उलब्ध कराने के लिए तथा बैंकिंग क्षेत्र में प्रौद्योगिकी के विकास को देखते हुए देशी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के लिए दूरी संबंधी मानदंडों की शर्त को हटा दिया गया है। तथापि, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को व्यवसाय प्रतिनिधि नियुक्त करने के संबंध में बोर्ड द्वारा अनुमोदित नीति तैयार करते समय उनके परिचालन का अधिसूचित क्षेत्र तथा व्यवसाय प्रतिनिधियों की समुचित निगरानी के उद्देश्य तथा ग्राहकों को सेवा उपलब्ध कराने का ध्यान रखते हुए यह निर्णय लेना चाहिए कि दूरी संबंधी विद्यमान मानदंडों में किसप्रकार संशोधन किया जाए।

झ. अत्यंत लघु शाखाएं

वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने के लिए क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक ग्रामीण केंद्रों में आउटलेट स्थापित कर सकते हैं, जहां से व्यवसाय प्रतिनिधि कार्य कर सकें। ये बीसी आउटलेट कम लागत वाले साधारण ईंट-गारे के ढांचे हो सकते हैं। आधार शाखा को बीसी आउटलेटों की निगरानी करनी होगी, जिसमें आधार-शाखा के अधिकारियों द्वारा आउटलेट तथा बीसी के कार्यकलापों के अन्य स्थानों का आवधिक दौरा करना शामिल होगा। यह भी महत्वपूर्ण है कि आईसीटी आधारित डिलीवरी मॉडल के माध्यम से अच्छी गुणवत्ता वाली सेवाएं उपलब्ध कराई जाएं। इसलिए, वर्तमान आधार शाखा और बीसी के स्थानों के बीच एक मध्यस्थ इमारत संरचना (अत्यंत लघु शाखा) स्थापित करना आवश्यक

है, ताकि वाजिब दूरी पर स्थित बीसी यूनिटों के समूह को सहायता प्रदान की जा सके। ये अत्यंत लघु शाखाएं अनुषंगी (सैटेलाइट) कार्यालय अथवा नियमित शाखाएं हो सकते हैं, तथा आधार शाखा और बीसी के स्थानों के बीच स्थापित किए जा सकते हैं ताकि 3 - 4 किलोमीटर की वाजिब दूरी पर 8 - 10 बीसी यूनिटों को सहायता प्रदान की जा सके। ये या तो नए अथवा बीसी आउटलेटों को परिवर्तित कर स्थापित किये जाएं। ऐसी अत्यंत लघु शाखाओं में न्यूनतम बुनियादी सुविधाएं जैसे पास बुक प्रिंटर के साथ सहबद्ध एक कोर बैंकिंग सोल्यूशन (सीबीएस) टर्मिनल तथा बड़े ग्राहक लेनदेनों का परिचालन करने के लिए नकदी धारित करने हेतु एक तिजोरी और इनका प्रबंधन बैंक अधिकारियों / कर्मचारियों द्वारा पूरे समय के लिए किया जाना होगा। आशा की जाती है कि इस प्रकार की व्यवस्था से नकदी प्रबंधन, प्रलेखीकरण, ग्राहकों की शिकायतों के निवारण एवं बीसी परिचालकों पर बारीकी से पर्यवेक्षण में दक्षता आ जाएगी। बीसी ऐसी अत्यंत लघु शाखाओं से परिचालन कर सकते हैं, क्योंकि शाखा के साथ उनके जुड़े होने से उस क्षेत्र में उनकी वैधता और विश्वसनीयता बढ़ेगी तथा लोगों में उनकी सेवाओं का उपयोग करने का विश्वास आएगा। तथापि, यदि भौगोलिक स्थितियों के कारण बीसी की सेवाएं उनके परिचालन के संपूर्ण क्षेत्र में आसानी से उपलब्ध नहीं हो पाती हों, तो बैंकों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि ऐसी व्यवस्था के परिणामस्वरूप बीसी का कार्य केवल ऐसी शाखाओं के ग्राहकों को सेवा देने तक ही सीमित होकर न रह जाए।

ञ. कमीशन/शुल्क की अदायगी

बैंक बीसी को तर्कसंगत कमीशन/शुल्क दे सकते हैं, जिनकी दर और मात्रा की आवधिक रूप से समीक्षा की जानी चाहिए। बीसी के साथ किये गये करार में इसका स्पष्ट उल्लेख रहना चाहिए कि बैंक की ओर से उनके द्वारा दी गयी सेवा के लिए वे ग्राहकों से सीधा कोई शुल्क नहीं लेंगे। कमीशन या प्रोत्साहन की प्रणाली इस प्रकार बनायी जानी चाहिए कि केवल ग्राहकों की संख्या या लेनदेन के परिमाण में वृद्धि के कारण कमीशन न बढ़े। पारिश्रमिक में नियत और परिवर्तनशील अंश होना चाहिए जो अन्य बातों के साथ-साथ ग्राहक संतुष्टि की माप या सूचना पर निर्भर होना चाहिए। सेवा में कमी होने की स्थिति में, परिवर्तनशील पारिश्रमिक का कुछ अंश आस्थगित किया जा सकता है या वापस लिया जा सकता है।

बैंकों को (बीसी को नहीं) यह अनुमति दी जाती है कि वे पारदर्शी तरीके से ग्राहकों से तर्कसंगत सेवा प्रभार वसूल सकते हैं।

ट. बीसी के माध्यम से लेनदेन करना

चूंकि व्यवसाय प्रदाता/प्रतिनिधियों जैसे मध्यस्थकों की नियुक्ति में महत्वपूर्ण प्रतिष्ठा संबंधी, कानूनी और परिचालन जोखिम हैं, अतः बैंकों को इन जोखिमों पर समुचित विचार करना चाहिए। बैंकों को किफायती तरीके से अपनी पहुंच बढ़ाने के अलावा जोखिम प्रबंधन के लिए प्रौद्योगिकी आधारित समाधान अपनाना चाहिए। सामान्यतया लेनदेन बैंक के कोर बैंकिंग समाधान से अविच्छिन्न रूप से जुड़े आइसीटी उपकरणों (हैंडहेल्ड डिवाइस/मोबाइल फोन) के माध्यम से किया जाना चाहिए। लेनदेनों

का हिसाब तात्कालिक आधार पर होना चाहिए और ग्राहकों को दृश्य माध्यमों (स्क्रीन आधारित) या अन्य माध्यमों (नामे या जमा पर्ची) से अपनी लेनदेन का तुरंत सत्यापन मिलना चाहिए।

योजनाएँ बनाते समय बैंकों को खान समूह की रिपोर्ट के अध्याय III में की गयी सिफारिशों तथा भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा 3 नवंबर 2006 को जारी आउटसोर्सिंग दिशानिर्देशों (भारतीय रिज़र्व बैंक की वेबसाइट www.rbi.org.in पर उपलब्ध) से मार्गदर्शन प्राप्त करना चाहिए। बीसी के साथ की गयी व्यवस्था में निम्नलिखित निर्दिष्ट किया जाएगा :

i) मध्यस्थों द्वारा नकदी रखने की उपयुक्त सीमा तथा वैयक्तिक ग्राहक के भुगतान और जमा की सीमा;
ii) ग्राहक से प्राप्त नकदी की प्राप्ति सूचना बैंक की ओर से एक रसीद जारी कर दी जानी चाहिए;
iii) सभी ऑफ-लाइन लेनदेनों का लेखांकन होना चाहिए तथा दिवस की समाप्ति तक बैंक की बहियों में उनकी प्रविष्टि होनी चाहिए; और
iv) ग्राहक के साथ किए गए सभी करारों /संविदाओं में स्पष्ट रूप से उल्लेख होना चाहिए कि बैंक बीसी के सभी कार्यों और त्रुटियों के लिए ग्राहक के प्रति जिम्मेवार होगा।

ठ. आंतरिक नियंत्रण और निगरानी

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को अपने व्यवसाय प्रतिनिधियों के कार्य-निष्पादन की विस्तृत समीक्षा वर्ष में कम-से-कम एक बार करनी चाहिए और अपने नियंत्रक कार्यालयों के माध्यम से तथा अग्रणी बैंक योजना के अंतर्गत विभिन्न मंचों अर्थात् एसएलबीसी, डीएलसीसी, बीएलबीसी के माध्यम से भी बीसी की गतिविधियों की निगरानी करनी चाहिए। बैंकों की आंतरिक नियंत्रण प्रणाली में आवधिक अंतराल पर व्यवसाय प्रतिनिधियों के यहाँ दौरा और ग्राहकों से आमने-सामने बातचीत शामिल होनी चाहिए।

ड. उपभोक्ता सुरक्षा के उपाय

बैंकों को ग्राहकों के हित की रक्षा करने के लिए हर प्रकार का उपाय करना चाहिए। सुरक्षा के ऐसे कुछ उपाय नीचे दिये जा रहे हैं :

i. एक जन-सभा में गाँव के बुजुर्गों और सरकारी पदाधिकारियों की उपस्थिति में बैंक के पदाधिकारियों को बीसी के खुदरा केंद्र /उप एजेंट का जनता से व्यक्तिगत परिचय कराना चाहिए ताकि कोई छल-कपट/धोखाधड़ी न हो।

ii. उत्पाद और प्रक्रियाएँ बैंकों द्वारा अनुमोदित होनी चाहिए तथा कंपनी को संबंधित बैंक के अनुमोदन के बिना कोई उत्पाद/प्रक्रिया आरंभ नहीं करनी चाहिए।

iii. प्रत्येक खुदरा केंद्र/उप एजेंट से यह अपेक्षा की जा सकती है कि उन्हें स्थानीय भाषा (वर्नाकुलर) में एक साइनेज प्रदर्शित करना चाहिए, जिसमें बैंक के सेवाप्रदाता के रूप में उनकी स्थिति दी जानी चाहिए तथा बीसी का नाम, बैंक की आधार शाखा/नियंत्रक कार्यालय और बैंकिंग लोकपाल के टेलीफोन नं. तथा उस केंद्र में उपलब्ध सभी सेवाओं के लिए शुल्क की सूचना दी जानी चाहिए।

iv. बीसी के खुदरा केंद्रों /उप एजेंटों द्वारा दी गयी वित्तीय सेवाओं को ऐसी कंपनी के किसी उत्पाद की बिक्री से नहीं जोड़ा जाना चाहिए।

v. विभिन्न सेवाओं के लिए लिये जाने वाले प्रभार एक ब्रोशर में दर्शाये जाने चाहिए और उन्हें खुदरा केंद्रों /उप एजेंटों के पास उपलब्ध कराया जाना चाहिए।

vi. बैंकों को स्थानीय भाषाओं में उपयुक्त प्रशिक्षण कार्यक्रम /सामग्री तैयार करनी चाहिए ताकि बीसी/उप एजेंटों में समुचित मनोवृत्ति और क्षमता विकसित की जा सके।

vii. सामाजिक जाँच के एक उपाय के रूप में आवधिक रूप से प्रखंड स्तर पर बैठकें हो सकती हैं जिनमें उस क्षेत्र की जनता, उस क्षेत्र में कार्यरत बीसी और उनसे संबद्ध शाखा प्रबंधकों को बुलाया जाए ताकि वे अपनी कठिनाइयां बता सकें तथा उनसे फीडबैक प्राप्त किया जा सके। अग्रणी बैंक के अग्रणी जिला प्रबंधक (एलडीएम) जिले में ऐसी बैठकों में शामिल हो सकते हैं तथा प्रत्यक्ष फीडबैक प्राप्त कर सकते हैं और नियंत्रक कार्यालयों को ऐसा फीडबैक प्रदान कर सकते हैं।

viii. बैंक के पास आवश्यक कारोबार निरंतरता योजना (बीसीपी) होनी चाहिए ताकि कंपनियों/उप एजेंटों के साथ एजेंसी व्यवस्था समाप्त करने की स्थिति में बाधारहित सेवा सुनिश्चित की जा सके।

ix. यदि कोई कंपनी एक से अधिक बैंकों का बीसी हो तो यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि ग्राहकों के आँकड़े और खातों के ब्यौरे अलग-अलग रखे जाते हैं और आँकड़े आपस में नहीं मिलते हैं।

ढ. शिकायत निवारण

बैंकों को बीसी द्वारा दी गयी सेवाओं के संबंध में शिकायत निवारण के लिए बैंक के भीतर एक शिकायत निवारण प्रणाली गठित करनी चाहिए और इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट माध्यमों से उसका व्यापक प्रचार करना चाहिए। बैंक के निर्दिष्ट शिकायत निवारण अधिकारी का नाम और संपर्क टेलीफोन नं. प्रदर्शित किया जाना चाहिए और उसका व्यापक प्रचार किया जाना चाहिए। निर्दिष्ट अधिकारी को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि ग्राहकों की सच्ची शिकायतें शीघ्र दूर की जाती हैं। बैंक की शिकायत निवारण प्रक्रिया और शिकायतों के उत्तर भेजने के लिए नियत समय सीमा बैंक

की वेबसाइट पर प्रदर्शित होनी चाहिए। यदि कोई शिकायतकर्ता शिकायत जमा करने की तारीख से 60 दिनों के भीतर बैंक से कोई संतोषजनक उत्तर नहीं प्राप्त करता है तो उसे यह विकल्प रहेगा कि वह अपनी शिकायतों के निपटान के लिए संबंधित बैंकिंग लोकपाल कार्यालय से संपर्क करे।

ण. ग्राहक शिक्षण

वित्तीय साक्षरता और वित्तीय शिक्षण करोबारी रणनीति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होना चाहिए तथा बीसी मोडल अपनाने वाले बैंकों की प्रतिबद्धता का अंग होना चाहिए। बैंकों को अपने ग्राहकों को बैंकिंग आदत के लाभ के संबंध में जन-भाषा में शिक्षित करने के लिए किये जाने वाले प्रयास में महत्वपूर्ण वृद्धि करनी चाहिए। बैंकों द्वारा नियुक्त व्यवसाय प्रतिनिधियों के संबंध में सूचना संबंधित बैंकों की वेबसाइटों पर प्रदर्शित की जानी चाहिए। बैंकों की वार्षिक रिपार्ट में भी बीसी मोडल के माध्यम से बैंकिंग सेवाएँ देने में हुई प्रगति तथा इस संबंध में बैंकों द्वारा की गयी पहल की रिपोर्ट होनी चाहिए। बैंक अपने बीसी मोडल के कार्यान्वयन का व्यापक प्रचार करने के लिए प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक माध्यम (जन-भाषा में भी) का भी प्रयोग कर सकते हैं।

III. केंद्रों का वर्गीकरण / पुनःवर्गीकरण

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को यह सूचित किया जाता है कि वे जिन केन्द्रों के जनसंख्या समूह वर्गीकरण के बारे में आश्वस्त नहीं हैं उनके बारे में नयी शाखाएं खोलने के लिए ग्रामीण आयोजना और ऋण विभाग से संपर्क करने से पहले भारतीय रिज़र्व बैंक, सांख्यिकी और सूचना प्रबंध विभाग, बैंकिंग सांख्यिकी प्रभाग, सी-8/9, बांद्रा-कुर्ला कॉम्प्लेक्स, मुंबई 400 051 से उक्त वर्गीकरण को सुनिश्चित कर लें। केंद्रों के पुनः वर्गीकरण के संबंध में कोई प्रश्न हो तो वह भी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के प्रधान कार्यालय द्वारा परिवर्तन के समर्थन में संबंधित दस्तावेजों, जैसे राजपत्र की अधिसूचना, आदि सहित सांख्यिकी और सूचना प्रबंध विभाग को भेजा जाना चाहिए।

IV. विवरणियां प्रस्तुत करना

(i) क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के लिए कारोबार का स्थान खोलने के तुरंत बाद, उसके खोलने की तारीख और कार्यालय / शाखा का डाक पता, भारतीय रिज़र्व बैंक के संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय को सूचित करना आवश्यक है।

(ii) बैंककारी विनियमन (कंपनी) नियमावली, 1949 के नियम 13 के अनुसार बैंकों के लिए यह आवश्यक है कि वे प्रत्येक तिमाही की समाप्ति के एक महीने के भीतर फार्म VII में भारत में अपने कार्यालयों से संबंधित सूची भारतीय रिज़र्व बैंक के उस राज्य में स्थित कार्यालय को प्रस्तुत करें जहां उनका प्रधान कार्यालय स्थित है।

(iii) साथ ही, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को दिनांक 6 जुलाई 2005 के परिपत्र ग्राआक्रवि. केका. आरआरबी.बीएल.बीसी.10/03.05.90ए/2005-06 (भारिबैं/2005-06/46) में सूचित किए अनुसार अनुबंध III में दिये गये प्रोफार्मा में तिमाही के दौरान खोले गये नये कार्यालयों / शाखाओं तथा वर्तमान कार्यालयों / शाखाओं के विलयन आदि के कारण स्थिति में हुए परिवर्तन से संबंधित विवरणियां सांख्यिकी और सूचना प्रबंध विभाग (बैंकिंग सांख्यिकी

प्रभाग) तथा संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय को उस तिमाही, जिससे वह संबंधित है, की समाप्ति के बाद वाले माह में 14 दिनों के भीतर प्रस्तुत करनी चाहिए। चालू तिमाही विवरणी प्रस्तुत करते समय अग्रेषण पत्र में पिछली तिमाही के संदर्भ का उल्लेख किया जाए। किसी तिमाही के दौरान किसी कार्यालय/ शाखा / एनएआइओ (विस्तार काउन्टरों, अनुषंगी कार्यालयों, एटीएम इत्यादि जैसे अप्रशासनिक रूप से स्वतंत्र कार्यालय) खोले जाने / बन्द करने अथवा स्थिति में परिवर्तन होने के संबध में रिपोर्ट करने के लिए कुछ भी न होने की स्थिति में सांख्यिकी और सूचना प्रबंध विभाग (डीएसआइएम) और संबंधित क्षेत्रीय कार्यालयों को "कुछ नहीं" विवरणी भेजी जाए।

(iv) सामान्य अनुमति के अंतर्गत टीयर 2 से 6 तक के केंद्रों में खोली गई शाखाओं का ब्योरा निर्धारित प्रारूप (अनुबंध V) में भारतीय रिज़र्व बैंक के संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय को भेजा जाना चाहिए। यह सूचना अनुबंध III में सांख्यिकी और सूचना प्रबंध विभाग (डीएसआइएम) को भी भेजी जानी चाहिए।

अनुबंध - I

बैंककारी विनियमन अधिनियम,1949 की धारा 23 के अंतर्गत कारोबार का नया स्थान खोलने अथवा कारोबार के वर्तमान स्थान को बदलने (उसी शहर, कस्बे या गाँव को छोड़कर अन्य स्थान पर) की अनुमति के लिए आवेदन पत्र - बैंककारी विनियमन (कंपनी) नियमावली, 1949, नियम 12

फार्म VI

1. बैंकिंग कंपनी का नाम :

2. प्रस्तावित कार्यालय :
   (निम्नलिखित जानकारी दें)

   (क) शहर / कस्बे / गांव का नाम :
   (यदि स्थान के एक से अधिक नाम हों, तो संबंधित जानकारी भी प्रस्तुत की जानी चाहिए)

   (ख) मुहल्ले / स्थान का नाम :

   (ग) (i) खंड (ब्लॉक),
   (ii) तहसील
   (iii) जिला
   (iv) राज्य

   (घ) (i) गांव,
   (ii) विकास खंड (ब्लॉक) की आबादी

   (ड़) प्रस्तावित कार्यालय का स्तर (स्टेटस)

   (च) प्रस्तावित कार्यालय तथा वाणिज्य बैंक के निकटतम वर्तमान कार्यालय के बीच की दूरी, बैंक एवं केन्द्र/ मुहल्ले के नाम सहित :

   (छ) 5 कि.मी. के घेरे में कार्यरत वाणिज्य बैंकों के नाम और उनके कार्यालयों की संख्या, उन केन्द्रों के नाम के साथ, जिनमें वे कार्यरत हों :

   (ज) विकास खंड (ब्लॉक) में बैंक की शाखाओं की सं. :

अन्य बैंकों की शाखाएं :

3. पिछला आवेदन :
(यदि प्रस्तावित कारोबारी स्थान के संबंध में रिज़र्व बैंक को पहले कोई आवेदन प्रस्तुत किया गया हो तो उसका ब्योरा दें)

4. प्रस्तावित कार्यालय खोलने के लिए कारण :
(प्रस्तावित कार्यालय के लिए ब्यौरेवार कारण बतायें तथा निम्नानुसार सांख्यिकी एवं अन्य आंकड़े प्रस्तुत करें, जिनका संकलन प्रस्तावित कार्यालय के लिए किया गया हो)

(i) स्थान की जनसंख्या :

(ii) प्रस्तावित कार्यालय के कमांड क्षेत्र (अर्थात् परिचालन के क्षेत्र) के विवरण :

(क) कमांड क्षेत्र की अनुमानित त्रिज्या (रेडियस) :

(ख) कमांड क्षेत्र में गांवों की संख्या :

(ग) कमांड क्षेत्र की आबादी :

(iii) निम्नलिखित प्रारुप में प्रस्तावित कार्यालय के परिचालन क्षेत्र में कृषि, खनिज और औद्योगिक उत्पादन की तथा आयात और निर्यात की मात्रा और मूल्य :

वस्तु का नाम	**उत्पादन**		**आयात**		**निर्यात**	
	मात्रा	**मूल्य**	**मात्रा**	**मूल्य**	**मात्रा**	**मूल्य**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)

(iv) यदि कृषि, खनिज अथवा औद्योगिक विकास के लिए योजनाएं हों तो उनका ब्यौरा दें तथा वर्तमान उत्पादन, आयात और निर्यात की मात्रा और मूल्य पर उनके संभावित प्रभाव का उल्लेख करें।

(v) यदि वर्तमान बैंकिंग सुविधाएं अपर्याप्त समझी जायें, तो उसके कारण बतायें

(vi) संभावनाएं : प्रस्तावित कार्यालय में 12 महीने के भीतर बैंकिंग कंपनी द्वारा किये जानेवाले न्यूनतम कारोबार की अनुमानित मात्रा निम्नानुसार दर्शायें

(क) जमाराशियां : रु.

(ख) अग्रिम : रु.

4. वर्तमान कार्यालय की स्थिति में परिवर्तन (उस कार्यालय की सही स्थिति बतायें, जिसे बंद करने का प्रस्ताव है तथा मद 2, 3 और 4 के अनुसार नये स्थान का ब्यौरा देते हुए उस स्थान की सही स्थिति बतायें जहाँ इस कार्यालय को स्थानांतरित करने का प्रस्ताव है)

5. व्यय :

(प्रस्तावित कार्यालय के संबंध में स्टाफ, परिसर, फर्नीचर, स्टेशनरी, विज्ञापन आदि पर पहले किये जा चुके अथवा प्रस्तावित व्यय की मात्रा । साथ ही, यह भी उल्लेख करें कि 12 महीनों में प्रस्तावित कार्यालय में बैंकिंग कंपनी को न्यूनतम कितनी आय होने की आशा है)

* अनुमानित वार्षिक व्यय

क) स्थापना प्रभार रु.

ख) स्टेशनरी और विविध रु.

ग) किराया और भवन रु.

घ) जमाराशियों पर अदा की जाने वाली ब्याज रु.

ड.) प्रधान कार्यालय से उधार ली गयी रु. .....की निधि पर @.....% से ब्याज रु.

कुल अनुमानित वार्षिक आय

क) अग्रिमों पर ब्याज रु.

ख) कमीशन रु.

ग) विनिमय रु.

घ) प्रधान कार्यालय को उधार दी गयी निधि पर ब्याज रु.

कुल : रु.

अनुमानित लाभ रु.

6. अन्य विवरण :

(कोई अन्य अतिरिक्त तथ्य, जिसे बैंकिंग कंपनी अपने आवेदन के समर्थन में बताना चाहे)

* जो भाग लागू न हो उसे काट दें । यह जानकारी उन्हीं केन्द्रों के आवेदन के मामले में प्रस्तुत की जानी है जिनकी जनसंख्या एक लाख से कम हो ।

अनुबंध - II

विस्तार काउंटर के लिए अनुरोध के संबंध में बैंक द्वारा प्रस्तुत किये जाने वाले विवरण

भाग - I

1. बैंक का नाम :

2. जिस संस्था में विस्तार काउंटर खोला जाना है उसका नाम और डाक का पूरा पता :

3. बैंक के मूल कार्यालय का नाम और पता, जिसके साथ विस्तार काउंटर को संबद्ध किया जाना है :

4. i) मूल कार्यालय एवं प्रस्तावित विस्तार काउंटर के बीच की दूरी

   ii) प्रस्तावित विस्तार काउंटर और आवेदक बैंक के निकटतम कार्यालय (विस्तार काउंटर, चल (मोबाइल) कार्यालय सैटेलाइट कार्यालय आदि सहित) के बीच की दूरी

   iii) प्रस्तावित विस्तार काउंटर और अन्य बैंकों *(शहरी सहकारी बैंकों सहित) के निकटतम कार्यालयों /विस्तार काउंटरों, चल कार्यालयों आदि के बीच की दूरी

   विस्तार काउंटर के लिए आवेदन करने वाले बैंक से इतर बैंक

	बैंक का नाम	कार्यालय का प्रकार	दूरी
i			
ii			
iii			

   iv) परिसरों में कार्यरत कर्मचारी को-ऑप क्रेडिट सोसाइटी, यदि कोई हो, के विवरण

5. i) जिस संस्था में विस्तार काउंटर स्थापित

किया जाना है उसके प्रधान बैंकर का नाम

ii) क्या संस्था ने विस्तार काउंटर के लिए स्थान देने हेतु सहमति दे दी है ?

iii) क्या संस्था को अपने स्टाफ / कर्मचारियों / कामगारों से इतर जनता को विस्तार काउंटर के कैम्पस / परिसर के भीतर बैंकिंग सुविधाएं प्राप्त करने की अनुमति देने में कोई आपत्ति है ? यदि हो, तो उसके कारण बताएं।

(ए) उक्त बातों के समर्थन में आवेदन के भाग II में दिये गये निर्धारित प्रोफार्मा में संस्था के सक्षम प्राधिकारी से एक पत्र संलग्न किया जाना चाहिए।

6. (i) (5) में दी गयी संस्था के प्रधान बैंकर से इतर बैंकर / बैंकरों का / के नाम

(ii) उक्त प्रत्येक बैंकर / बैंकरों के पास संस्था के खातों के प्रकार और उनकी जमाराशियों की मात्रा

7. (i) संस्था के साथ विशिष्ट तौर पर संबद्ध जिस ग्राहक वर्ग की बैंकिंग आवश्यकताएं पूरी की जानी हैं उसकी संख्या और उसके प्रकार (कृपया अलग-अलग आंकड़े दें)
स्टाफ / कामगार / छात्र / अध्यापक / अन्य (नाम दें) जोड़

(ii) अन्य सामान्य जनता आदि की अनुमानित संख्या, जिनकी जरुरतें पूरी की जानी हैं।

8. (क) परिचालन के दो वर्षों में काउंटर पर निम्नलिखित से प्रत्याशित जमाराशियों की मात्रा :

		पहला वर्ष		**दूसरा वर्ष**	
		खातों की संख्या	**राशि**	**खातों की संख्या**	**राशि**
i)	संस्था के स्टाफ/ कामगारों/छात्रों अध्यापकों				
ii)	संस्था				
iii)	सामान्य जनता				

(ख) नकद लेनदेनों की दैनिक मात्रा **संख्या** **राशि**

9. विस्तार काउंटर खोलने के कारण

10. प्रस्तावित विस्तार काउंटर में किये जाने वाले लेनदेनों का स्वरुप

11. बैंक द्वारा देय किराया (प्रासंगिक व्यय को छोड़कर), यदि कोई हो, की राशि, किराये की दर और विस्तार काउंटर बनाने के लिए प्रस्तावित क्षेत्र

12. क्षेत्र में प्रचलित अथवा राज्य / केन्द्र सरकार द्वारा अनुमोदित वाणिज्यिक किराये की दर

13. 3 वर्ष की अवधि के लिए प्रस्ताव की अर्थक्षमता / आर्थिक पहलुओं के संक्षिप्त परिकलन

(हस्ताक्षर और आवेदक बैंक की मोहर)

दिनांक :

*जिस संस्था के परिसर में विस्तार काउंटर खोलने का प्रस्ताव है, उसके सक्षम प्राधिकारी द्वारा की जानेवाली घोषणा।

भाग II

1. हमने . . . . . (संस्था का नाम और पूरा पता) के परिसर में उक्त संस्था से संबद्ध निम्नलिखित वर्गों के लाभ के लिए विस्तार काउंटर खोलने के लिए . . . . . (बैंक का नाम) से अनुरोध किया है।@

* कामगार . . . . . .

* स्टाफ / कर्मचारी . . . . . **कृपया वास्तविक संख्या अलग-अलग दर्शाएं**

* छात्र . . . . . .

* अध्यापक . . . . . .

@ (जहां यह पत्र जारी करने वाले प्राधिकारी द्वारा एक से अधिक ऐसी संस्थाओं का प्रबंधन किया जा रहा हो, जिन्हें विस्तार काउंटर का लाभ भी मिलने वाला हो, उन संस्थाओं के नाम/ विस्तार काउंटर के लिए प्रस्तावित स्थान से उनकी दूरी, प्रत्येक संस्था के साथ अलग-अलग संबद्ध छात्रों / स्टाफ की संख्या आदि, उनके बैंकरों के नाम और दूरी भी अलग-अलग दर्शायी जानी चाहिए)

* (जो लागू न हो उसे काट दें)

2. (क) . . . . . .(बैंक का नाम और स्थान) हमारे प्रधान बैंकर हैं।

(ख) हम निम्नलिखित बैंकरों (बैंकरों के नाम और संस्था से उनकी दूरी बतायें) के साथ भी लेनदेन करते हैं :

1. . . . . .
2. . . . . .
3. . . . . .

(ख) . . . . . (कृपया अद्यतन स्थिति बतायें) को प्रधान बैंकर और अन्य बैंकरों के पास हमारे खातों का ब्यौरा।

	बैंक का नाम	**रखे गए खातों का प्रकार**	**राशि**
1.			
2.			
3.			

3. हम अपनी संस्था के परिसर में विस्तार काउंटर खोलने के लिए आवश्यक स्थान प्रदान करने का वचन देते हैं (उक्त क्रम सं. 1 में उल्लिखित)

4. हमें बाहरी व्यक्तियों को विस्तार काउंटर का उपयोग करने की अनुमति देने पर कोई आपत्ति नहीं है।

5. यदि प्रधान बैंकर से इतर बैंक को विस्तार काउंटर की अनुमति देने का प्रस्ताव हो, तो उसके कारण बताएं।

6. क्या इस प्रयोजन के लिए इसी तरह का पत्र किसी अन्य बैंकर को जारी किया गया है।

ह0/-

(संस्था की ओर से सक्षम प्राधिकारी के हस्ताक्षर,
पदनाम का उल्लेख करते हुए और मोहर, यदि कोई हो)

आवेदक बैंक द्वारा भरा जाये

हमने पैरा 1 में संस्था द्वारा प्रस्तुत सूचना का सत्यापन कर लिया है और उसे सही पाया गया है।
ह0/-
(हस्ताक्षर और आवेदक बैंक की मोहर)

आवेदक बैंक द्वारा ई.सी. के लिए अपने आवेदन के साथ भारतीय रिज़र्व बैंक को निर्धारित प्रोफार्मा में यह प्रमाणपत्र मूल रूप में प्रस्तुत किया जाना चाहिए।

अनुबंध III

खोली गयी नयी शाखा /कार्यालय/एनएआईओ का विवरण

<u>प्रोफार्मा - I</u>

खोली गयी नयी शाखा /कार्यालय/ऐसा कार्यालय जो प्रशासनिक रूप से स्वतंत्र नहीं है (एनएआईओ) का विवरण :

(कृपया प्रोफार्मा I तथा II भरने से पूर्व अनुदेश पढ़ें)

<u>मदें</u>

1. (क) वाणिज्य बैंक /अन्य वित्तीय संस्था / सहकारी संस्था का
नाम : .....

(ख) निम्नलिखित के लिए प्रोफार्मा :

बैंक की शाखा / कार्यालय ( )
ऐसा कार्यालय जो प्रशासनिक रूप से स्वतंत्र नहीं है (एनएआईओ) ( )
अन्य वित्तीय संस्था की शाखा / कार्यालय ( )
(उचित खाने में सही (√) का निशान लगाएं)

(ग) एकसमान कूट : भाग I (7/9 अंक) : | | | | | | | | | |
(अनुदेश **I, II, III** देखें; **स्पष्टीकरण भी देखें**) (**एनएआईओ** के लिए)
भाग -II (7 अंक) : | | | | | | | |
(भारतीय रिज़र्व बैंक आबंटित करेगा)
(अनुदेश **I,II,III** देखें; **स्पष्टीकरण भी देखें**)

2. (क) नयी शाखा /कार्यालय /**एनएआईओ का नाम :** .....
(ख) भारतीय रिज़र्व बैंक संदर्भ संख्या .....
तथा संदर्भ की तारीख : | | | | | | | | |
दिन माह वर्ष
(ग) लाइसेन्स संख्या : .....
(भारिबैं से प्राप्त संख्या)
(घ) लाइसेन्स की तारीख : | | | | | | | | |
(स्पष्टीकरण देखें) दिन माह वर्ष

(ङ) क्या यह लाइसेन्स के पुनर्वैधीकरण का मामला है :
हां ( ) नहीं ( )
यदि हां, तो पुनर्वैधीकरण की तारीख दें (स्पष्टीकरण देखें) :
| | | | | | | | |
दिन माह वर्ष

3. नयी शाखा /कार्यालय /**ऐसा कार्यालय जो प्रशासनिक रूप से स्वतंत्र नहीं है,** को खोलने की तारीख : | | | | | | | | |
दिन माह वर्ष

4. डाक पता :
4.1 भवन का नाम /नगरपालिका संख्या (यदि कोई हो) : .....
4.2 सड़क का नाम (यदि कोई हो) .....

4.3 (क) डाक घर का नाम : .....
(ख) पिन कोड : | | | | | | |

4.4 केंद्र में इलाके का
नाम (राजस्व इकाई) : .....
(स्पष्टीकरण देखें)

4.5 तहसील /तालुका /उप-मंडल का नाम : .....

4.6 टेलीफोन नं./टेलेक्स नं. (एसटीडी कोड सहित) : .....

4.7 फैक्स नं. : .....

4.8 **ई-मेल पता** : .....

5. (क) केंद्र का नाम (राजस्व गांव /शहर /नगर /नगरपालिका /नगरपालिका निगम) जिसकी सीमाओं के भीतर शाखा / कार्यालय स्थित है :

(<u>यह अत्यंत महत्वपूर्ण पहलू है :</u> स्पष्टीकरण देखें)

(ख) सामुदायिक विकास खंड / विकास खंड /तहसील /तालुका /
उप-मंडल / मंडल / पुलिस थाने का नाम : ----------

(ग) ज़िले का नाम : .....

(घ) राज्य का नाम : .....

(ङ) नवीनतम जनगणना रिपोर्ट के अनुसार केंद्र
(राजस्व इकाई) की जनसंख्या : .....
(स्पष्टीकरण देखें)

6. **क्या आपके केंद्र में** अपनी शाखा / कार्यालय / जो प्रशासनिक रूप से स्वतंत्र नहीं है ऐसे कार्यालय के अलावा कोई अन्य प्रशासनिक रूप से स्वतंत्र बैंक शाखा (शाखाएं) / कार्यालय है / हैं : हां : ( ) नहीं : ( )
(स्पष्टीकरण देखें तथा उचित खाने में सही (√) का निशान लगाएं)

7. (क) नयी शाखा /कार्यालय /जो प्रशासनिक रूप से स्वतंत्र नहीं है ऐसे कार्यालय की व्यावसायिक स्थिति (स्पष्टीकरण देखें):

<u>कूट</u> | | | <u>स्थिति **नाम**</u> : .....

(ख) जो प्रशासनिक रूप से स्वतंत्र नहीं है ऐसे कार्यालय के मामले में निम्नलिखित ब्योरे दें (स्पष्टीकरण देखें) :

(i) आधार शाखा /कार्यालय का नाम :

(ii) आधार शाखा / कार्यालय की एकसमान कूट संख्या

<u>भाग -I (7 अंक) :</u> | | | | | | | |

<u>भाग -II (7 अंक) :</u> | | | | | | | |

8. (i) (क) केंद्र सरकार के कारोबार की स्थिति :

(उचित खाने में सही (√) निशान लगाएं)

<u>केंद्र सरकार के कारोबार का प्रकार</u>

(1) ( ) सरकारी कारोबार नहीं है
(2) ( ) प्रत्यक्ष कर

(3) ( ) विभागीकृत मंत्रालयों का खाता (डीएमए)
(4) ( ) पेन्शन
(5) ( ) बांड निर्गम

(6)   (   )   अन्य (यदि कुछ है तो उल्लेख करें) : ....

(ख) राज्य सरकार के कारोबार की स्थिति (अर्थात् राजकोषीय / उप-राजकोषीय कारोबार) : **<u>(समुचित खाने में सही (√) निशान लगाएं)</u>**

<u>राजकोषीय /उप-राजकोषीय कारोबार का प्रकार (राज्य सरकार)</u>

(1)   (   )   सरकारी कारोबार नहीं है

(2)   (   )   राजकोषीय कारोबार

(3)   (   )   उप-राजकोषीय कारोबार

(4)   (   )   पेन्शन

(5)   (   )   बांड निर्गम

(6)   (   )   अन्य (यदि कुछ है तो उल्लेख करें) : ....

(ii) क्या इस शाखा /कार्यालय से मुद्रा तिजोरी (करेन्सी चेस्ट) संबद्ध है : हां (   ) नहीं (   )

(अ) यदि `हां' तो निम्नलिखित जानकारी दें :

(क) करेन्सी चेस्ट का प्रकार : क (   ) ख (   ) ग (   )

(उचित खाने में सही (4) निशान लगाएं ।

(ख)करेन्सी चेस्ट की स्थापना की तारीख : | | | / | | | / | | | | |

दिन माह वर्ष

(ग) करेन्सी चेस्ट कूट संख्या : | | | | | | | | |

(मुद्रा प्रबंध विभाग द्वारा आबंटित 8 अंकीय कूट संख्या यहां लिखें)

(घ) जहां करेन्सी चेस्ट स्थित है उस क्षेत्र के प्रकार का उल्लेख करें :

("क्षेत्र का प्रकार" कूट का उल्लेख करें; स्पष्टीकरण देखें)

<u>कूट</u> [   ] क्षेत्र का प्रकार : ---------------------------

(आ) यदि `नहीं' तो, करेन्सी चेस्ट सुविधा वाली निकटतम शाखा /कार्यालय का विवरण दें :

(क) बैंक का नाम : ....

(ख) शाखा का नाम : ....

(ग) एकसमान कूट संख्या का भाग - I : | | | | | | | |

(घ) दूरी (कि.मी. में) : ....

(ङ) केंद्र का नाम : ....

(iii) क्या इस शाखा /कार्यालय से कोई आधान (रिपोजिटरी) संबद्ध है ? हां (   ) नहीं (   )

(उचित खाने में सही (√) निशान लगाएं)

(iv) क्या इस शाखा /कार्यालय से छोटे सिक्कों का डिपो संबद्ध है ? हां (   ) नहीं (   )

(उचित खाने में सही (√) निशान लगाएं)

(v) **क्या करेन्सी चेस्ट /रिपोजिटरी /छोटे सिक्कों का डिपो सुविधा वाली शाखा से कोई ऐसा कार्यालय संबद्ध है जो प्रशासनिक रूप से स्वतंत्र नहीं है ?**

(उचित खाने में सही (√) निशान लगाएं) हां (   ) नहीं (   )

9. शाखा /कार्यालय / ऐसा कार्यालय जो प्रशासनिक रूप से स्वतंत्र नहीं है द्वारा संचालित कारोबार का स्वरूप :

(उचित खाने /खानों में सही (√) निशान लगाएं)

<u>नाम</u>

(1) ( ) बैंकिंग कारोबार
(2) ( ) मर्चंट बैंकिंग कारोबार
(3) ( ) विदेशी मुद्रा
(4) ( ) स्वर्ण जमा
(5) ( ) बीमा
(6) ( ) प्रशासनिक /नियंत्रक कार्यालय
(7) ( ) प्रशिक्षण केंद्र
(8) ( ) अन्य (यदि कोई है तो कृपया उल्लेख करें) : .....

10. (क) शाखा / कार्यालय की
प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी : ए ( ) बी ( ) सी ( )
(उचित खाने में सही (√) निशान लगाएं)

(ख) प्राधिकार देने की तारीख : | | | | | | | | |
दिन माह वर्ष

(ग) `सी' श्रेणी के कार्यालय के मामले में, उस `ए' अथवा `बी' श्रेणी की शाखा / कार्यालय का नाम तथा एकसमान कूट संख्याएं लिखें जिसके माध्यम से उसके विदेशी मुद्रा लेनदेनों का निपटान होता है :

(i) शाखा /कार्यालय का नाम : .....

(ii) शाखा / कार्यालय की एकसमान कूट संख्याएं :

भाग - I : | | | | | | | |
(7 अंक)

भाग - II : | | | | | | | |
(7 अंक)

11. शाखा /कार्यालय की प्रौद्योगिकी सुविधा :

(उचित खाने में सही (√) निशान लगाएं)

<u>प्रौद्योगिकी सुविधा</u>

(1) ( ) अब तक कंप्यूटरीकृत नहीं है
(2) ( ) अंशतः कंप्यूटरीकृत
(3) ( ) पूर्णतः कंप्यूटरीकृत

12. शाखा /कार्यालय / जो प्रशासनिक रूप से स्वतंत्र नहीं हैं ऐसे कार्यालय में उपलब्ध संचार सुविधा :

(उचित खाने में सही (√) निशान लगाएं)

<u>संचार सुविधा</u>

(1) ( ) कोई नेटवर्क नहीं है
(2) ( ) इन्फीनेट
(3) ( ) इंटरनेट
(4) ( ) इंट्रानेट
(5) ( ) अन्य (कोई है तो कृपया उल्लेख करें) ----------

13. शाखा / कार्यालय /जो प्रशासनिक रूप से स्वतंत्र नहीं हैं ऐसे कार्यालय के लिए

मैग्नेटिक इंक कोड रीडर (माइकर कूट) संख्या : .....

14. कोई अन्य विवरण (कृपया उल्लेख करें) : .....

---

15. केवल भारतीय रिज़र्व बैंक के उपयोग के लिए :

(क) एडी क्षेत्र कार्यालय कूट :

(ख) जनगणना वर्गीकरण कूट :

(ग) पूर्ण डाक पता :

<u>प्रोफार्मा - II</u>

वर्तमान शाखा/कार्यालय/एनएआईओ की स्थिति में हुए बदलाव/ विलयन/ परिवर्तन/बंद होने आदि का विवरण

(कृपया प्रोफार्मा भरने से पूर्व सभी अनुदेश तथा स्पष्टीकरण पढ़ें । प्रोफार्मा - II में विभिन्न मदों के समक्ष कोष्ठकों में दी गयी स्पष्टीकरण टिप्पणियां संलग्न "प्रोफार्मा - I में मदों के स्पष्टीकरण" के अंतर्गत दर्शाए गए प्रोफार्मा - I की मद संख्याओं से संबंधित हैं)

बैंक /अन्य वित्तीय संस्था /सहकारी संस्था का नाम :-

....

अ. <u>शाखा/कार्यालय/प्रशासनिक रूप से अस्वतंत्र कार्यालय की स्थिति/ प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी /व्यवसाय के स्वरूप / डाक पते में हुआ परिवर्तन :</u>

1. शाखा /कार्यालय / प्रशासनिक रूप से अस्वतंत्र कार्यालय का नाम (मद सं. 2(क) में स्पष्टीकरण देखें) :

(क) पुराना नाम : ....

(ख) वर्तमान नाम : ....

(ग) नाम में परिवर्तन करने की तारीख : [ ][ ] [ ][ ] [ ][ ][ ][ ]

दिन माह वर्ष

2. एकसमान कूट (विद्यमान)

(क) भाग - I (7अंक) : [ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ] [ ][ ]

(ख) भाग - II (7 अंक) : [ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ]

3. शाखा /कार्यालय /प्रशासनिक रूप से अस्वतंत्र कार्यालय के व्यवसाय की स्थिति में परिवर्तन (मद सं. 7 (क) में स्पष्टीकरण देखें) :

क) पुरानी स्थिति का नाम : .... कूट : [ ][ ]

ख) वर्तमान स्थिति का नाम : .... कूट : [ ][ ]

ग) स्थिति के परिवर्तन की तारीख (यदि हो) : [ ][ ] [ ][ ] [ ][ ][ ][ ]

दिन माह वर्ष

4. व्यवसाय के स्वरूप में परिवर्तन :
(उचित खाने में सही (√) का निशान लगाएं)

(क)	<u>पुराना नाम</u>		<u>वर्तमान</u>
(1)	( )	बैंकिंग व्यवसाय	( )
(2)	( )	वाणिज्यिक बैंकिंग व्यवसाय	( )
(3)	( )	विदेशी मुद्रा	( )
(4)	( )	स्वर्ण जमा	( )
(5)	( )	बीमा	( )
(6)	( )	प्रशासनिक /नियंत्रक कार्यालय	( )
(7)	( )	प्रशिक्षण केंद्र	( )
(8)	( )	अन्य (कोई है तो कृपया उल्लेख करें)	( )

ख) व्यवसाय के स्वरूप में परिवर्तन की तारीख (यदि हो) [ ][ ] [ ][ ] [ ][ ][ ][ ]

दिन माह वर्ष

5. (क) शाखा /कार्यालय / प्रशासनिक रूप से अस्वतंत्र कार्यालय की प्रौद्योगिक सुविधा में परिवर्तन :
(उचित खाने में सही (√) का निशान लगाएं)

	पुराना	प्रौद्योगिक सुविधा	वर्तमान
(1)	( )	अब तक कंप्यूटरीकृत नहीं है	( )
(2)	( )	अंशतः कंप्यूटरीकृत	( )
(3)	( )	पूर्णतः कंप्यूटरीकृत	( )

(ख) प्रौद्योगिक सुविधा में परिवर्तन की तारीख :

दिन	माह	वर्ष

6. **(क)** शाखा /कार्यालय / **प्रशासनिक रूप से स्वतंत्र नहीं है में संचार सुविधा :**
(उचित खाने में सही (√) का निशान लगाएं)

	पुराना	**संचार सुविधा**	**वर्तमान**
(1)	**( )**	**नेटवर्क नहीं है**	**( )**
(2)	**( )**	**इंफीनेट**	**( )**
(3)	**( )**	**इंटरनेट**	**( )**
(4)	**( )**	**इंट्रानेट**	**( )**
(5)	**( )**	**अन्य**	**( )**

(कोई है तो कृपया उल्लेख करें) .....

संचार सुविधा में परिवर्तन की तारीख

दिन	माह	वर्ष

7. शाखा /कार्यालय की प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी दें :

क) पुरानी श्रेणी : .....

ख) नयी /परिवर्तित श्रेणी : .....

आगे, उचित खाने में सही (√) का निशान लगाएं :

दर्जा बढ़ाया गया ( ) दर्जा घटाया गया ( ) नये रूप से प्राधिकृत ( )

ग) दर्जा बढ़ाने/दर्जा घटाने/प्राधिकार देने की तारीख

दिन	माह	वर्ष

घ) यदि सामान्य बैंकिंग व्यवसाय करने वाली शाखा को विदेशी मुद्रा व्यवसाय संभालने का अतिरिक्त दायित्व सौंपा गया है और वह प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी `सी' की शाखा है तो जिस संपर्क शाखा /कार्यालय के माध्यम से उसके लेनदेनों की रिपोर्ट होती है उसकी एकसमान कूट संख्या दें :

भाग - I (7 अंक) :

भाग - II (7 अंक) :

ङ) यदि विद्यमान `सी' श्रेणी शाखा का संपर्क कार्यालय बदल दिया गया है, तो नये संपर्क कार्यालय की भाग-I तथा II कूट संख्या दें :

भाग - I (7 अंक) :

भाग - II (7 अंक) :

च) यदि `ए` /`बी' श्रेणी की प्राधिकृत व्यापारी शाखा का दर्जा घटाकर उसे `सी' श्रेणी का कर दिया गया है, तो उस संपर्क शाखा / कार्यालय की एकसमान कूट संख्या दें जिसके माध्यम से दर्जा घटायी गयी `सी' श्रेणी प्राधिकृत व्यापारी शाखा के लेनदेनों को रिपोर्ट किया जाता है :

भाग - I (7 अंक) : | | | | | | | |

भाग - II (7 अंक) : | | | | | | | |

छ) यदि `ए` /`बी' श्रेणी की प्राधिकृत व्यापारी शाखा, जो कि एक अथवा अधिक `सी' श्रेणी प्राधिकृत व्यापारी शाखा(ओं) के लिए संपर्क कार्यालय का कार्य कर रही है, का दर्जा घटाकर उसे `सी' श्रेणी प्राधिकृत व्यापारी शाखा बना दिया गया है, तो उन प्राधिकृत व्यापारी (रियों) की भाग-I कूट संख्या (एं) दें जिसे (जिन्हें) उक्त`सी' श्रेणी शाखा (ओं) के संपर्क कार्यालय का कार्य सौंपा गया है ।

`सी' श्रेणी शाखा की एकसमान कूट सं.		**संपर्क कार्यालय की एकसमान कूट सं.**	
भाग - I :		**भाग - I :**	
भाग - I :		**भाग - I :**	
भाग - I :		**भाग - I :**	

(यदि `सी' श्रेणी शाखाओं की सूची बड़ी है, तो सूची संलग्न करें)

ज) **यदि अकेले ही सामान्य बैंकिंग व्यवसाय करने वाली शाखा /`सी' श्रेणी प्राधिकृत व्यापारी शाखा को `ए'/`बी' श्रेणी प्राधिकृत व्यापारी शाखा का कार्य सौंपा जाता है अथवा उसका दर्जा बढ़ाया जाता है, तो नये तौर पर दर्जा बढ़ाई गई प्राधिकृत व्यापारी शाखा से जुड़ने वाली सभी `सी' श्रेणी शाखाओं की भाग -I कूट संख्या:**

भाग - I (7 अंक) : | | | | | | | |

भाग - I (7 अंक) : | | | | | | | |

भाग - I (7 अंक) : | | | | | | | |

(यदि `सी' श्रेणी शाखाओं की सूची बड़ी है, तो सूची संलग्न करें)

8. करेंसी चेस्ट /रिपोज़िटरी /सिक्का डिपो /सरकारी कारोबार आदि की स्थिति में परिवर्तन यदि है, तो उससे संबंधित ब्यौरे (खोलने/अंतरण /परिवर्तन /बंद करने सहित)। अंतरण /परिवर्तन /बंद करने के इन सभी मामलों में तारीख का भी उल्लेख करें :

(क) (i) केंद्र सरकार का कारोबार

(उचित खाने में सही (√) का निशान लगाएं)

पुराना	**सरकारी कारोबार का प्रकार**	**नया**
(1) ( )	*सरकारी कारोबार नहीं है*	( )
(2) ( )	*प्रत्यक्ष कर*	( )
(3) ( )	*विभागीकृत मंत्रालय लेखा (डीएमए)*	( )
(4) ( )	*पेन्शन*	( )
(5) ( )	*बांड निर्गम*	( )
(6) ( )	*अन्य (कोई है तो कृपया उल्लेख करें) -----------------*	( )

(ii) परिवर्तन की तारीख : | | | (दिन) | | | (माह) | | | | | (वर्ष)

(ख) (i) राजकोषीय /उप राजकोषीय कारोबार (राज्य सरकार का कारोबार)

(उचित खाने में सही (√) का निशान लगाएं)

पुराना	**राजकोषीय /उप राजकोषीय कारोबार का प्रकार**	**नया**
(1) ( )	**कोई सरकारी कारोबार नहीं**	( )
(2) ( )	**राजकोषीय कारोबार**	( )
(3) ( )	**उप राजकोषीय कारोबार**	( )

(4) **( )** **पेन्शन** **( )**

(5) **( )** **बांड निर्गम** **( )**

(6) **( )** **अन्य (कोई है तो कृपया उल्लेख करें) ....** **( )**

(ii) परिवर्तन की तारीख :

दिन **माह** **वर्ष**

(ग) करेन्सी चेस्ट का प्रकार बताएं :

<u>पुरानी</u> : ( ) **<u>वर्तमान</u> : ( )**

परिवर्तन की तारीख :

दिन **माह** **वर्ष**

(घ) **यदि करेन्सी चेस्ट के लिए नये तौर पर प्राधिकार दिये गये हैं तो निम्नलिखित को दर्शाएं :**

(i) करेन्सी चेस्ट का प्रकार (उचित खाने में सही (√) का निशान लगाएं)

क ( ) **ख ( )** **ग ( )**

(ii) प्राधिकार देने की तारीख :

दिन **माह** **वर्ष**

(iii) करेन्सी चेस्ट कूट सं. :

(मुद्रा प्रबंध विभाग द्वारा आबंटित 8 अंकीय कूट संख्या लिखें)

(iv) करेंसी चेस्ट जहां स्थित है उस क्षेत्र के प्रकार का उल्लेख करें :

(`क्षेत्र का प्रकार' कूट संख्या दें : स्पष्टीकरण देखें)

<u>कूट संख्या :</u> [ ] **<u>क्षेत्र का प्रकार :</u>** ***..........................***

(ङ) रिपोज़िटरी : ***..........................***

(च) सिक्का-डिपो : ***..........................***

9. पूरा डाक पता : (मद संख्या 4.1 से 4.8 में स्पष्टीकरण देखें)

(i) **<u>पुराना</u>**

(क) भवन का नाम /नगरपालिका संख्या (यदि हो) : ***..........................***

(ख) सड़क का नाम (यदि हो) : ***..........................***

(ग) (i) डाक घर का नाम : ***..........................***

(ii) पिन कोड :

(घ) केंद्र में इलाके का नाम (राजस्व इकाई) : ***..........................***

(ङ) केंद्र का नाम (राजस्व इकाई) : ***..........................***

(च) सामुदायिक विकास खंड /विकास खंड /तहसील /तालुका /उप-प्रभाग /मंडल /

थाने का नाम : ***..........................***

(छ) टेलीफोन सं. /टेलेक्स सं. (एसटीडी कोड सहित) : ***..........................***

(ज) फैक्स सं. : ***...***

(झ) **ई-मेल पता : ....**

(ii) वर्तमान

(क) भवन का नाम /नगरपालिका संख्या (यदि हो) : **.....**

(ख) सड़क का नाम (यदि हो) : **.....**

(ग) (i) डाक घर का नाम : **.....**

(ii) पिन कोड : | | | | | | |

(घ) केंद्र में इलाके का नाम (राजस्व इकाई) : **.....**

(ङ) केंद्र का नाम (राजस्व इकाई) : **.....**

(च) सामुदायिक विकास खंड /विकास खंड /तहसील /तालुका /उप-प्रभाग /मंडल /

थाने का नाम : **.....**

(छ) टेलीफोन सं. /टेलेक्स सं. (एसटीडी कोड सहित) : **.....**

(ज) फैक्स सं. : **.....**

(झ) **ई-मेल पता : .....**

(iii) पते में परिवर्तन की तारीख | | | | | | | | |
दिन माह वर्ष

10. (i) यदि शाखा /कार्यालय /प्रशासनिक रूप से अस्वतंत्र कार्यालय को अलग केंद्र (राजस्व इकाई) पर पुनःस्थापित किया गया है तो वर्तमान केंद्र के ब्योरे दें :

((क), (ख), (ग) तथा (च) के लिए क्रमशः मद सं. 2(क), 5(क), 5(ख) तथा 5(ङ) में स्पष्टीकरण देखें)

(क) शाखा /कार्यालय/ प्रशासनिक रूप से अस्वतंत्र कार्यालय का नाम : **.....**

(ख) राजस्व इकाई (केंद्र का नाम) : **.....**

(ग) सामुदायिक विकास खंड /विकास खंड /तहसील /तालुका /उप-प्रभाग / मंडल /पुलिस थाने का नाम : **.....**

(घ) जिले का नाम : **.....**

(ङ) राज्य का नाम : **.....**

(च) केंद्र की जनसंख्या (नवीनतम जनगणना के अनुसार) : **.....**

(ii) केंद्र के परिवर्तन की तारीख | | | | | | | | |
दिन माह वर्ष

11. **यदि शाखा /कार्यालय /प्रशासनिक रूप से अस्वतंत्र कार्यालय को अलग केंद्र पर पुनःस्थापित किया गया है तो पुनःस्थापन के कारण दें : .....**

(क) लाइसेंस सं. : **.....**

(ख) भा.रि.बैं. के क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा **.....**में लाइसेंस को उचित रूप से संशोधित

करने की तारीख :

दिन **माह** **वर्ष**

(ग) भा.रि.बैं. के केंद्रीय कार्यालय के अनुमोदन की संदर्भ सं.तथा तारीख :

संदर्भ सं. तारीखः

दिन माह वर्ष

12. किसी प्रशासनिक रूप से अस्वतंत्र कार्यालय की आधार शाखा /कार्यालय का परिवर्तन /बंद होने के मामले में निम्नलिखित जानकारी दें :

(क) पुरानी आधार शाखा/कार्यालय का भाग-I कूट सं. :

(ख) नयी आधार शाखा /कार्यालय का भाग-I कूट सं. :

13. कोई अन्य जानकारी : **.....**

ख. <u>शाखा /कार्यालय /प्रशासनिक रूप से अस्वतंत्र कार्यालय का बंद होना/विलयन /परिवर्तन :</u>

1. समापन ( ) विलयन ( ) परिवर्तन ( ) की सूचना
(उचित खाने में सही (√) का निशान लगाएं)
2. शाखा /कार्यालय /प्रशासनिक रूप से अस्वतंत्र कार्यालय का नाम (मद सं. 2(क) में स्पष्टीकरण देखें) :
3. एकसमान कूट संख्याएं (मद सं. 1(ख) में स्पष्टीकरण देखें) :

भाग - I | | | | | | | | | | भाग - II : | | | | | | | |

4. (क) शाखा /कार्यालय /प्रशासनिक रूप से अस्वतंत्र कार्यालय का डाक पता :
(मद सं. 4.1 से 4.8 में स्पष्टीकरण देखें) :

(i) भवन का नाम /नगरपालिका संख्या (यदि हो) : **.....**

(ii) सड़क का नाम (यदि हो) : **.....**

(iii) (क) डाक घर का पता : **.....**

(ख) पिन कोड :

(iv) केंद्र में इलाके का नाम (राजस्व इकाई) : **.....**

(v) सामुदायिक विकास खंड /विकास खंड /तहसील /तालुका /उप-प्रभाग /मंडल /

पुलिस थाने का नाम : **.....**

(vi) टेलीफोन सं. /टेलेक्स सं. (एसटीडी कोड सहित) : .....

(vii) फैक्स सं. : .....

(viii) **ई-मेल पता : .....**

(ख) केंद्र का नाम : **.....**
(मद सं. 5(क) में स्पष्टीकरण देखें)

(ग) जिले का नाम : **.....**

(घ) राज्य का नाम : **.....**

(ङ) नवीनतम जनगणना रिपोर्ट के अनुसार केंद्र (राजस्व इकाई) की जनसंख्या :

.....

(मद सं. 5(ङ) में स्पष्टीकरण देखें)

5. समापन /विलयन /परिवर्तन की तारीखः

दिन माह वर्ष

6. भारतीय रिजर्व बैंक के अनुमोदन की संदर्भ सं. तथा तारीख :

संदर्भ सं.

तारीखः

दिन माह वर्ष

7. बंद करने /विलयन/परिवर्तन का कारण : ....

8. भारिबैं के ----- क्षेत्रीय कार्यालय को-----------------
(शाखा/कार्यालय/प्रशासनिक रूप से अस्वतंत्र कार्यालय का नाम)
के लिए लाइसेंस वापस करने की तारीख :

दिन माह वर्ष

9. ऐसी `ए'/`बी' श्रेणी प्राधिकृत व्यापारी शाखा के समापन /विलयन के मामले में, जो एक या उससे अधिक `सी' श्रेणी प्राधिकृत व्यापारी शाखा(ओं), के लिए संपर्क कार्यालय का कार्य कर रही है, उन प्राधिकृत व्यापारी शाखा(ओं) की भाग I कूट संख्या दें जिसे/जिन्हें उक्त `सी' श्रेणी शाखा(ओं) के संपर्क कार्यालय का कार्य सौंपा गया है :

`सी' श्रेणी शाखा की एकसमान कूट संख्या		**संपर्क कार्यालय की एकसमान कूट संख्या**	
भाग - I :		भाग - I :	
भाग - I :		भाग - I :	
भाग - I :		भाग - I :	

(यदि `सी' श्रेणी शाखों की सूची बड़ी है तो सूची संलग्न करें)

10. **यदि शाखा/कार्यालय को ऐसे कार्यालय के रूप में जो प्रशासनिक रूप से स्वतंत्र नहीं है (एनएआइओ), परिवर्तित किया गया है तो ऐसे एनएआइओ का प्रकार दें :**
(मद सं. 7 (क) (iv) में स्पष्टीकरण देखें)

स्थिति का नाम : ....कूट संख्या :

11. आधार /आमेलक शाखा /कार्यालय का विवरण :

(क) प्रशासनिक रूप से अस्वतंत्र कार्यालय के रूप में परिवर्तित होने के मामले में :

i) आधार शाखा /कार्यालय का नाम : ....

ii) एकसमान कूट संख्याएं : भाग - I (7 अंक) :

भाग - II (7 अंक) :

iii) संपूर्ण डाक पता : ....

....

(ख) शाखाओं /कार्यालयों/प्रशासनिक रूप से अस्वतंत्र कार्यालयों के विलय /आमेलन के मामलों में :

i)**आमेलक** शाखा /कार्यालय का नाम : ....

ii)एकसमान कूट संख्याएं : भाग-I(7 अंक) :

भाग-II(7 अंक) :

iii) संपूर्ण डाक पता : **.....**

.....

(ग) यदि कतिपय प्रशासनिक रूप से अस्वतंत्र कार्यालयों के लिए आधार शाखा के रूप में कार्य करने वाली शाखा को समाप्त / प्रशासनिक रूप से अस्वतंत्र कार्यालय के रूप में परिवर्तित /अन्य शाखा में विलयित किया गया है तो उन प्रशासनिक रूप से अस्वतंत्र कार्यालयों की आधार शाखा के ब्योरे दें, जो समाप्त /परिवर्तित/विलयित शाखा से पूर्व में संबद्ध थे :

i) आधार शाखा /कार्यालय का नाम : **.....**

ii) एकसमान कूट संख्याएं : भाग - I (7 अंक) :

भाग-II(7 अंक):

iii) संपूर्ण डाक पता : **.....**

.....

टिप्पणी : 1) इस प्रोफार्मा में अलग-अलग मदों के समक्ष कोष्ठकों में रखी गयी स्पष्टीकरण टिप्पणियों के लिए कृपया अनुलग्नक "प्रोफार्मा - I में मदों के स्पष्टीकरण " देखें ।

2) इस प्रोफार्मा में जब तक 7 अंकीय एकसमान कूट संख्याओं के भाग I तथा भाग II का उल्लेख नहीं किया जाता, तब तक कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी ।

अनुबंध III

(पैरा 11)

नई शाखा / कार्यालय / एनएआईओ जब कभी खोला गया हो विवरण

प्रोफार्मा - I

विद्यमान शाखा/कार्यालय/एनएआईओ में जब कभी स्थिति में परिवर्तन/विलयन/ परिवर्तन / बंद होना आदि होता हो उसका विवरण

प्रोफार्मा - II

<u>प्रोफार्मा - I तथा II भरने के लिए अनुदेश</u>

टिप्पणी : कृपया प्रोफार्मा भरने से पूर्व निम्न अनुदेश पढ़ें

I. प्रोफार्मा -I शाखा /कार्यालय / ऐसे कार्यालय **जो प्रशासनिक रूप से स्वतंत्र नहीं है** के खुलने के दिन अथवा उसके बाद प्रस्तुत किये जाने चाहिए, लेकिन शाखा/कार्यालय /ऐसे कार्यालय **जो प्रशासनिक रूप से स्वतंत्र नहीं है** के खुलने के पहले नहीं।

II. प्रोफार्मा -I सभी तरह की नयी खुली हुई बैंक शाखाओं /कार्यालयों /ऐसे कार्यालय **जो प्रशासनिक रूप से स्वतंत्र नहीं हैं** के लिए है तथा प्रोफार्मा - II विद्यमान बैंक शाखाओं /कार्यालयों /ऐसे कार्यालय **जो प्रशासनिक रूप से स्वतंत्र नहीं हैं की स्थिति/डाक पते में परिवर्तन, बंद होने /विलयन/परिवर्तन /पुनः स्थापन /*उन्नयन* आदि रिपोर्ट करने के लिए है।**

III. **अब तक एकसमान कूट संख्याएं भारतीय रिज़र्व बैंक को अलग विवरणियां (7(ख) में स्पष्टीकरण देखें) प्रस्तुत करने वाले प्रशासनिक रूप से स्वतंत्र कार्यालयों/शाखाओं को दी जाती थीं। हाल ही में, यह निर्णय लिया गया है कि स्टैण्ड-एलोन एटीएम/विस्तार पटलों/अनुषंगी कार्यालय/प्रतिनिधि कार्यालय/नकदी काऊंटर/इन्स्पेक्टोरेट/वसूली काउंटर/ मोबाइल कार्यालय/ एअरपोर्ट काउंटर/ होटल काउंटर/एक्स्चेंज ब्यूरो जैसे कार्यालयों जो प्रशासनिक रूप से स्वतंत्र कार्यालय नहीं हैं (एनएआइओ - अस्थायी कार्यालयों), को 9 अंकों वाली एकसमान कूट संख्याएं आबंटित की जाएं। <u>तथापि किसी मेले/प्रदर्शनी आदि के स्थान पर खोले गये अस्थायी कार्यालय से संबंधित प्रोफार्मा सांख्यिकीय विश्लेषण और कंप्यूटर सेवा विभाग को न भेजें।</u>**

IV. जिन सरकारी क्षेत्र के बैंकों को अपनी नयी शाखाओं/कार्यालयों/ऐसे कार्यालयों, **जो प्रशासनिक रूप से स्वतंत्र नहीं हैं,** को भाग I कूट संख्या देने की अनुमति दी गयी है; उन्हें भारतीय रिज़र्व बैंक को **प्रोफार्मा -I** प्रेषित करते समय उपर्युक्त III में उल्लिखित अनुदेश का कड़ाई से पालन करना होगा।

V. **किसी ऐसे कार्यालय का, जो प्रशासनिक रूप से स्वतंत्र नहीं है, संपूर्ण शाखा /कार्यालय में उन्नयन किया जाता है तो उसे मूल कार्यालय का बंद होना और शाखा /कार्यालय का खुलना समझा जाए। तदनुसार, उस कार्यालय, जो प्रशासनिक रूप से स्वतंत्र नहीं है, के बंद होने के लिए प्रोफार्मा - II तथा शाखा / कार्यालय में उन्नयन के लिए प्रोफार्मा - I प्रस्तुत किया जाए।**

VI. विकल्पतः, यदि किसी शाखा /कार्यालय को, ऐसे कार्यालय में जो प्रशासनिक रूप से स्वतंत्र नहीं है, परिवर्तित किया गया है, तो शाखा /कार्यालय के बंद होने के लिए प्रोफार्मा -II तथा परिवर्तन /ऐसा कार्यालय जो प्रशासनिक रूप से स्वतंत्र नहीं है, खोलने के लिए प्रोफार्मा -I प्रस्तुत किया जाना चाहिए।

VII. **भाग - I तथा भाग - II** कूट संख्या के आबंटन /भाग -II कूट संख्या में संशोधन के लिए प्रोफार्मा-I तथा II तब तक स्वीकार नहीं किया जाएगा जब तक प्रोफार्मा की सभी मदें उचित रूप से भरी नहीं जाती हैं।

<u>प्रोफार्मा -I की मदों का स्पष्टीकरण</u>

<u>मद सं. 1 (ग) :</u>

सरकारी क्षेत्र के बैंकों (एसबीआई तथा उसके 7 सहयोगी बैंक एवं 19 राष्ट्रीयकृत बैंक तथा इंडस्ट्रियल डेवलपमेन्ट बैंक ऑफ इंडिया लि.) को केवल अपनी शाखाओं/ कार्यालयों/ऐसे कार्यालयों जो प्रशासनिक रूप से स्वतंत्र नहीं हैं को 7/9 अंक वाली भाग - I कूट संख्याएं देने की अनुमति है तथा अन्य बैंकों के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक (सांविकंसेवि) भाग - I तथा भाग II दोनों कूट संख्याएं आबंटित करता है । ऐसा प्रत्येक कार्यालय जो प्रशासनिक रूप से स्वतंत्र नहीं है, किसी स्वतंत्र शाखा से संबद्ध होता है। जो प्रशासनिक रूप से स्वतंत्र कार्यालय नहीं है उसके लिए भाग - I कूट संख्या के अंतिम दो अंक (बायें से 8वां तथा 9वां अंक) हैं, जिनके आगे आधार शाखा की 7 अंकीय भाग - I कूट संख्या होगी ।

बैंकों की शाखाओं /कार्यालयों की एकसमान कूट संख्या दो भागों की होती है, - प्रति 7 अंकों की **भाग - I कूट संख्या तथा भाग - II** कूट संख्या ; जो प्रशासनिक रूप से स्वतंत्र कार्यालय नहीं हैं उनकी **भाग - I** कूट संख्या को 2 अतिरिक्त अंक जोड़ दिये जाते हैं ।

भाग - I कूट संख्या निम्नानुसार परिभाषित की जाती है :

- **वाणिज्यिक बैंकों तथा अन्य वित्तीय संस्थाओं** की शाखाओं /कार्यालयों/ऐसे कार्यालयों के लिए, जो प्रशासनिक रूप से स्वतंत्र नहीं हैं**, :**

  बायें से **पहले तीन अंक बैंक की कूट संख्या** से संबंधित हैं
  अगले चार अंक शाखा कूट संख्या दर्शाते हैं
  अंतिम दो अंक ऐसे कार्यालयों की, जो प्रशासनिक रूप से स्वतंत्र नहीं हैं, कूट संख्या दर्शाते हैं ।

- **राज्य /जिला केंद्रीय सहकारी बैंकों, राज्य /केंद्रीय भूमि विकास बैंकों की शाखाओं**/कार्यालयों/ऐसे कार्यालयों, जो प्रशासनिक रूप से स्वतंत्र नहीं हैं **:**

  बाएं से **पहले चार अंक बैंक कूट** संख्या दर्शाते हैं
  अगले तीन अंक शाखा कूट संख्या दर्शाते हैं
  अंतिम दो अंक ऐसे कार्यालय की, जो प्रशासनिक रूप से स्वतंत्र नहीं है, कूट संख्या दर्शाते है ।

- **अन्य सहकारी बैंकों, सैलरी अर्नर्स सोसाइटी, राज्य वित्तीय निगमों तथा टूर्स, ट्रैवल्स, वित्त तथा पट्टादायी कंपनियों** की शाखाओं /कार्यालयों / ऐसे कार्यालयों जो प्रशासनिक रूप से स्वतंत्र नहीं हैं, के लिए :

बाएं से पहले पांच अंक बैंक कूट संख्या दर्शाते हैं ।
अगले दो अंक शाखा कूट संख्या दर्शाते हैं ।
अंतिम दो अंक ऐसे कार्यालयों की, जो प्रशासनिक रूप से स्वतंत्र नहीं हैं, कूट संख्या दर्शाते हैं ।

भाग - II कूट संख्या को निम्नानुसार परिभाषित किया गया है, चाहे `बैंकों'की श्रेणी कुछ भी क्यों न हों,

बाएं से **पहले तीन अंक जिला कूट संख्या** दर्शाते हैं ।
अगले तीन अंक जिले के भीतर **केंद्र कूट संख्या** दर्शाते हैं ।
अंतिम एकल अंक जनसंख्या विस्तार सीमा कूट संख्या दर्शाता है ।

<u>जनसंख्या विस्तार सीमा कूट संख्या तथा जनसंख्या समूह कूट संख्या के बीच का संबंध नीचे दर्शाया गया है :</u>

एकसमान कूट संख्या (जनसंख्या विस्तार सीमा कूट संख्या) के भाग - II का अंतिम अंक	जनसंख्या विस्तार सीमा	जनसंख्या समूह	जनसंख्या समूह कूट संख्या
1	4999 तक		
2	5000 से 9999 तक		*1*
3	10000 से 19,999		
4	20,000 से 49,999	*अर्धशहरी*	*2*
5	50,000 से 99,999		
6	1,00,000 से 1,99,999		
7	2,00,000 से 4,99,999	*शहरी*	*3*
8	5,00,000 से 9,99,999		
9	10 लाख तथा उससे अधिक		*4*

<u>मद सं. 2 (क) :</u>
शाखा /कार्यालय /ऐसे कार्यालय जो प्रशासनिक रूप से स्वतंत्र नहीं है, का नाम लिखना चाहिए।

<u>मद सं. 2 (ख) :</u>
भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी किये गए प्राधिकार /अनुमोदन पत्र की संदर्भ सं.तथा तारीख का उल्लेख किया जाना चाहिए।

<u>मद सं. 2 (ग) :</u>
लाइसेंस सं. यदि पहले से ही उपलब्ध है (भारतीय रिज़र्व बैंक के संबंधित क्षेत्रीय कार्यालयों से प्राप्त किये गये अनुसार) तो लिखनी है, अगर उपलब्ध नहीं है तो उसे एकसमान कूट संख्याओं के साथ बाद में संप्रेषित किया जाना चाहिए।

<u>मद सं. 2 (घ) :</u>
लाइसेंस की सही तारीख (माह तथा वर्ष सहित) दर्शाई जानी है।

<u>मद सं. 2 (ङ) :</u>

यदि शाखा /कार्यालय /ऐसा कार्यालय जो प्रशासनिक रूप से स्वतंत्र नहीं है, लाइसेंस जारी करने की तारीख से एक वर्ष की अवधि समाप्त होने के बाद खोला गया है तो कृपया दर्शाएं कि क्या लाइसेंस का पुनर्वैधीकरण किया गया था अथवा नहीं, तथा यदि पुनर्वैधीकरण किया गया था तो उसकी तारीख का उल्लेख करें।

मद सं. 3 :

खोलने की सही तारीख, माह तथा वर्ष लिखें।

मद सं. 4.1 से 4.3 तथा 4.6 से 4.8

नाम/संख्याएं/कूट संख्याएं उचित मद संख्या के समक्ष लिखें। मद सं. 4.3 (ख) के समक्ष पिन कोड दर्शाएं। मोबाइल कार्यालय तथा मोबाइल एटीएम के संबंध में आधार शाखा / कार्यालय का विस्तृत पता रिपोर्ट करें।

मद सं. 4.4 :

जहां शाखा /कार्यालय /ऐसा कार्यालय जो प्रशासनिक रूप से स्वतंत्र नहीं है स्थित है, उस इलाके के सही स्थान का नाम बताएं । यदि शाखा /कार्यालय /ऐसा कार्यालय जो प्रशासनिक रूप से स्वतंत्र नहीं है, किसी गाँव में खोला गया है तो उस गाँव का नाम ही इलाके का नाम होगा। मोबाइल कार्यालय अथवा मोबाइल एटीएम के मामले में आधार शाखा /कार्यालय के संबंधित ब्योरे दिए जाएं।

मद सं. 4.5 तथा 5 (ख) :

मद 5 (क) में दिये गये केंद्र के नाम के संदर्भ में तहसील /तालुका /उप-प्रभाग तथा सामुदायिक विकास खंड के नाम क्रमशः मद सं. 4.5 तथा 5 (ख) के सामने दर्शाएं।
महानगरीय केंद्रों के मामले में यह लागू नहीं होगा।
मोबाइल कार्यालय अथवा मोबाइल एटीएम के मामले में आधार शाखा /कार्यालय के संबंधित ब्योरे दिये जाने चाहिए।

मद सं. 5 (क) :

मद सं.4.4 में उल्लिखित इलाका जिस गांव/शहर/नगर/नगरपालिका/नगरपालिका निगम के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत शामिल है उसका नाम लिखें। उस गांव का नाम लिखें अगर शाखा/कार्यालय/ऐसा कार्यालय जो प्रशासनिक रूप से स्वतंत्र नहीं है, ऐसे गांव में खोला गया है जो कि राजस्व यूनिट/केंद्र है। मोबाइल कार्यालय अथवा मोबाइल एटीएम के मामले में आधार शाखा/कार्यालय के संबंधित ब्योरे किये जाने चाहिए।

सावधानी :

यदि मद सं. 5 (क) में केंद्र का नाम सही नहीं लिखा है तो गलत भाग - II कूट संख्या के साथ शाखा /कार्यालय/ ऐसा कार्यालय जो प्रशासनिक रूप से स्वतंत्र कार्यालय नहीं है, का गलत वर्गीकरण हो सकता है। मद सं. 4.4 तथा 5 (क) के समक्ष पंचायत / खंड /तहसील /जिले आदि का नाम तब तक नहीं आना चाहिए जब तक शाखा /कार्यालय / ऐसा कार्यालय जो प्रशासनिक रूप से स्वतंत्र नहीं है, पंचायत /खंड /तहसील /जिले के मुख्यालय में स्थित न हो।

मद सं. 5 (ङ) : (मद सं. 5 (क) भी देखें)

शाखा / कार्यालय /ऐसा कार्यालय जो प्रशासनिक रूप से स्वतंत्र नहीं है,जहां स्थित है उस केंद्र (राजस्व यूनिट) की जनगणना के अनुसार जनसंख्या के नवीनतम आंकड़े दें। पूर्ण पंचायत/खंड/तहसील /जिले

आदि की जनसंख्या को विचार में न लें । **राजस्व केंद्र** की जनसंख्या जनगणना हैण्डबुक /स्थानीय जनगणना प्राधिकरण अथवा स्थानीय प्रशासन जैसे - जिला कलेक्टर /तहसीलदार / खंड विकास अधिकारी आदि से प्राप्त की जा सकती है और इस आशय का प्रमाणपत्र (मूल रूप में) जिसमें निम्नलिखित दो पहलू शामिल हैं, संबंधित स्थानीय प्रशासन से प्राप्त कर प्रेषित किया जाए :

(i) संदर्भाधीन शाखा /कार्यालय /ऐसा कार्यालय जो प्रशासनिक रूप से स्वतंत्र नहीं है, जहाँ स्थित है उस राजस्व केंद्र का नाम।

(ii) नवीनतम जनगणना रिपोर्ट के अनुसार उक्त राजस्व केंद्र की जनसंख्या।

मद सं. 6 :

कोई भी कार्यालय प्रशासनिक रूप से तब स्वतंत्र है, जब वह अलग खाता बहियाँ रखता है और उसे भारतीय रिज़र्व बैंक को एक अथवा अधिक बीएसआर विवरणियां प्रस्तुत करनी पड़ती हैं। यदि उपर्युक्त मद सं. 5 (क) में उल्लिखित केंद्र (राजस्व यूनिट) में किसी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अथवा किसी अन्य वाणिज्य /सहकारी बैंक की कोई प्रशासनिक रूप से स्वतंत्र शाखा /कार्यालय नहीं है जिसकी सीमा के अंदर नई शाखा /कार्यालय स्थित है तो `नहीं' के समक्ष सही **(**√) का निशान लगाएं, अन्यथा `हां' के समक्ष सही (√) का निशान लगाएं।

मद सं. 7 (क) :

विभिन्न प्रकार (व्यावसायिक स्थिति) की शाखाओं /कार्यालयों /ऐसे कार्यालयों **जो प्रशासनिक रूप से स्वतंत्र नहीं हैं** के नाम तथा संबंधित कूट संख्याएं नीचे I से IV श्रेणियों में सूचीबद्ध की गयी हैं। समुचित **स्थिति** का नाम तथा तदनुरूपी कूट संख्या लिखी जानी चाहिए।

चूँकि सूची व्यापक नहीं है, इसलिए कृपया कार्यालय /शाखा /ऐसा कार्यालय जो प्रशासनिक रूप से स्वतंत्र नहीं है की सही स्थिति "कोई अन्य शाखा /कार्यालय /ऐसा कार्यालय जो प्रशासनिक रूप से स्वतंत्र नहीं हैं**"** श्रेणी के अंतर्गत दें :

I. प्रशासनिक कार्यालय के मामले में

कूट सं.	**स्थिति का नाम**
(01)	पंजीकृत कार्यालय
(02)	केंद्रीय /मुख्य कार्यालय / प्रधान कार्यालय
(03)	स्थानीय मुख्य कार्यालय
(04)	क्षेत्रीय कार्यालय /क्षेत्र कार्यालय /अंचल कार्यालय /मंडल कार्यालय / परिमंडल कार्यालय
(05)	निधि प्रबंधन कार्यालय
(06)	अग्रणी बैंक कार्यालय
(07)	प्रशिक्षण केंद्र
(09)	कोई अन्य प्रशासनिक कार्यालय (जो ऊपर शामिल न किया गया हो, कृपया स्पष्ट करें)

II. सामान्य बैंकिंग शाखा के मामले में

कूट सं.	**स्थिति का नाम**
(10)	सामान्य बैंकिंग शाखा

III. विशेषीकृत शाखा के मामले में

(क) <u>कृषि विकास/वित्त शाखाएं</u>

(11) कृषि विकास शाखा (एडीबी)

(12) विशेषीकृत कृषि वित्त शाखा हाइ-टेक (एसएएफबी हाइ-टेक)

(13) कृषि वित्त शाखा (एएफबी)

(ख) सूक्ष्म (माइक्रो) और लघु उद्योग (एसएसआई) /लघु उद्योग तथा लघु कारोबार शाखाएं

(16) लघु कारोबार विकास शाखा /कार्यालय

(17) सूक्ष्म (माइक्रो) / लघु उद्योग शाखा (एसएसआइ)

(18) लघु उद्योग तथा लघु कारोबार शाखा (एसआइबी)

(ग) औद्योगिक **/**कंपनी वित्त **/**बड़े अग्रिम शाखाएं

(21) औद्योगिक वित्त शाखा **(**आइएफबी**)**

(22) कंपनी वित्त शाखा **(**सीएफबी**)**

(23) किराया खरीद तथा पट्टादायी वित्त शाखा

(24) औद्योगिक खाता शाखा

(25) बड़े अग्रिम शाखा

(26) कारोबार वित्त शाखा

(27) मध्यम कंपनी **(**मिड कॉर्पोरेट**)** शाखा

(**घ**) परिसंपत्ति वसूली प्रबंधन **/**औद्योगिक पुनर्व्यवस्था शाखाएं

(30) परिसंपत्ति वसूली प्रबंधन सेवा शाखा **(**एआरएमएस**)**

(31) औद्योगिक पुनर्व्यवस्था शाखा

(ङ**)** पूंजी बाज़ार**/**अभिरक्षक सेवाएं मर्चंट**/**व्यापारिक **(**मर्कंटाइल**)** बैंकिंग शाखाएं

(35) पूंजी बाज़ार सेवा शाखा **(**सीएमएस**)**

(36) अभिरक्षक सेवा शाखा

(37) मर्चंट बैंकिंग शाखा

(38) मर्कंटाइल बैंकिंग शाखा

(च**)** विदेशी **/**अंतर्राष्ट्रीय बैंकिंग कार्यालय **/**शाखाएं

(41) अंतर्राष्ट्रीय बैंकिंग कार्यालय /शाखाएं

(42) विदेशी शाखा

(43) अंतर्राष्ट्रीय कारोबार शाखा /कार्यालय /केंद्र

(44) अंतर्राष्ट्रीय विनिमय शाखा

(छ) वाणिज्य /व्यक्तिगत बैंकिंग शाखाएं

(47) अनिवासी भारतीय (एनआरआइ) शाखा

(48) आवास वित्त शाखा

(49) व्यक्तिगत बैंकिंग सेवा शाखा

(50) उपभोक्ता वित्त शाखा

(51) विशेषीकृत बचत शाखा

(52) वाणिज्य तथा व्यक्तिगत बैंकिंग शाखा

(53) विशेषीकृत वाणिज्य शाखा

(54) ड्राफ्ट अदाकर्ता (पेइंग) शाखा

(55) व्यावसायिक (प्रोफेशनल्स) शाखा

(56) लॉकर शाखा

(57) विशेषीकृत व्यापार शाखा

(58) डायमंड शाख़ा

(59) आवास वित्त व्यक्ति बैंकिंग शाखा

(ज) वसूली तथा अदायगी /शीघ्र (तेज) सेवा /एसटीएआरएस (स्टार्स) शाखाएं

(63) सेवा शाखा /समाशोधन शाखा /कक्ष

(64) वसूली तथा अदायगी सेवा शाखा

(65) शीघ्र वसूली शाखा

(66) तेज सेवा शाखा

(67) शीघ्र अंतरण तथा वसूली सेवा (स्टार्स) शाखा

(झ) अन्य प्रकार की विशेषीकृत शाखाएं

(71) राजकोष शाखा (सरकारी कारोबार)

(72) शेयर बाज़ार (स्टॉक एक्सचेंज) शाखा

(73) ऑटो-टेक शाखा

(74) निधि अंतरण सेवा (एफटीएस) शाखा

(75) कमज़ोर वर्ग शाखा

(76) सुरक्षा सेवा शाखा

(77) विशेषीकृत महिला उद्यमी शाखा

(78) विशेषीकृत नकदी प्रबंधन सेवा शाखा

(79) स्व-सहायता समूहों के लिए माइक्रो सेफ शाखा

(80) विशेषीकृत शाखा/कार्यालय की कोई अन्य श्रेणी
(ऊपर शामिल न की गयी, कृपया स्पष्ट करें)

IV. ऐसे कार्यालय जो प्रशासनिक रूप से स्वतंत्र नहीं हैं के मामले में

(85) विस्तार पटल

(86) अनुषंगी कार्यालय

(87) मोबाइल कार्यालय

(88) सेवा शाखा *

(89) मोबाइल एटीएम

(90) ऑन-साइट एटीएम

(91) ऑफ -साइट एटीएम

(92) प्रतिनिधि कार्यालय

(93) विनिमय ब्यूरो

(99) ऐसे कोई अन्य कार्यालय जो प्रशासनिक रूप से स्वतंत्र नहीं हैं (ऊपर शामिल न किये गये, कृपया स्पष्ट करें)

* यदि वह अलग खाता-बही नहीं रखती है

मद सं. 7 (ख) :

जो कार्यालय प्रशासनिक रूप से स्वतंत्र नहीं हैं, उनमें अलग खाता बहियां नहीं रखी जाती हैं और उन्हें भारतीय रिज़र्व बैंक को बीएसआर विवरणियां प्रस्तुत नहीं करनी पड़ती हैं। ऐसे कार्यालय उस आधार शाखा /कार्यालय का नाम तथा उसकी एकसमान कूट संख्याएं दें जिनके साथ उन कार्यालयों, **जो प्रशासनिक रूप से स्वतंत्र नहीं हैं** (एनएआइओ) के खाते रखे जाएंगे।

मद सं. 8 (ii) (क) (घ) :

नीचे सूचीबद्ध विकल्पों में से उचित कूट संख्या दर्शाएं :

कूट संख्या	**क्षेत्र प्रकार**
(0)	सामान्य क्षेत्र
(1)	सीमा क्षेत्र
(2)	उपद्रवग्रस्त क्षेत्र (अधिक जोखिम)
(3)	प्राकृतिक विपत्तियों (बाढ़ /भूकंप प्रवण क्षेत्र आदि) से प्रभावित क्षेत्र
(4)	हिमपात आदि के कारण पर्याप्त परिवहन सुविधा से रहित क्षेत्र

टिप्पणी : अधिक स्पष्टीकरण के लिए निम्नलिखित से संपर्क अथवा पत्राचार करें :

निदेशक
बैंकिंग सांख्यिकी प्रभाग
सांख्यिकी और सूचना प्रबंध विभाग
भारतीय रिज़र्व बैंक, केंद्रीय कार्यालय
सी - 9, छठी मंज़िल, बांद्रा-कुर्ला कॉम्प्लेक्स
बांद्रा (पूर्व), मुंबई - 400 051
फोन नं : (022) 26571176 (सीधा) / 26571086
फैक्स : (022) 2657 0847 / 2657 2319

अनुबंध -क

प्रोफार्मा -I और II के लिय अनिवार्य मदों की सूची

प्रोफार्मा -I के लिय अनिवार्य मदों की सूची

1. बैंक का नाम
2. शाखा भाग -I कोड (सरकारी क्षेत्र के बैंको के मामले में)
3. शाखा का नाम
4. लाइसेंस की तारीख/संदर्भ की तारीख
5. लाइसेंस संख्या/संदर्भ संख्या
6. खोलने की तारीख
7. पुनर्वैधिकरण की तारीख (यदि अवश्यक हो तो)
8. पिनकोड साहित पूर्ण पता
9. केन्द्र का नाम
10. * सामुदायिक विकास खंड/विकास खंड/तहसील/तालुका/उप-प्रभाग/माडल/पुलिस थाना/जिला का नाम
11. जिला का नाम
12. राज्य का नाम
13. कारोबार की स्थिति
14. कारोबार का स्वरुप
15. ए.डी वर्ग (कारोवार के स्वरुप के संदर्भ मे)
16. सी वर्ग की शाखा के मामले मे संर्पक कार्यलय का ब्योरा

प्रोफार्मा -II की अनिवार्य मदें

शाखा की पहचान हेतु आवश्यक फील्ड

1. बैंक का नाम
2. शाखा का नाम -I कोड

अनिवार्य मदें

3. शाखा का नाम
4. शाखा कार्यालय/एन ए आइ ओ की स्थिति
5. कारोबार का स्वरूप
6. ए डी वर्ग (कारोबार के स्वरुप के संदर्भ में)
7. सी वर्ग की शाखा के मामले मे संपर्क कार्यलय का ब्योरा
8. पिनकोड सहित पूर्ण पता
9. केन्द्र का नाम
10. * सामुदायिक विकास खंड/विकास खंड/तहसील/तालुका/उप-प्रभाग/माडल/पुलिस थाना/जिला का नाम
11. प्रशासनिक रुप से स्वतंत्र /प्रशासनिक रुप से स्वतंत्र नही कार्यालय
12. बंद हुए/विलयन/परिवर्तन का ब्योरा
13. यदि एन.ए.आइ.ओ आधार शाखा में परिवर्तित किया गया तो उसका ब्योरा
14. यदि विलयन हो तो ऐसी शाखा का ब्योरा जिसमें विलयन किया गया है ।
15. यदि बंद हुआ तो बंद होने की तारीख

प्रोफोर्मा -II के मामले में सभी परिवर्तनों के लिये परिवर्तन की तारीख अनिवार्य है तथा वह निर्दिष्ट की जानी चाहिए ।

- नगरपालिका /नगरपालिका बोर्ड/नगर निगम/नगर का क्षेत्र/ छावनी बोर्ड आदि में कवर न किए गए केन्द्रों के लिए।

<u>अनुबंध -ख</u>

31 मार्च 2005 को कार्यरत उन कार्यालयों (अस्थायी कार्यालय) की सूची जो प्रशासानिक रुप से स्वतंत्र नही हैं।

क्र.सं.	बैंक का नाम	आधार शाखा भाग -I कोड	एनएआइओ का नाम	लाइसेंस न.	लाइसेंस की तारीख	खोलने की तारीख	कारोबार की स्थिति ***
1	2	3	4	5	6	7	8

स्थानगत ब्यौरे

भवन	मार्ग	डाकधर	पिन कोड	बस्ती	केन्द्र का नाम	विकास खंड का नाम	जिले का नाम	राज्य का नाम
9	10	11	12	13	14	15	16	17

<u>*एनएआइओ की कारोबार स्थिति</u>**

कूट	**कारोबार स्थिति का स्वरुप**
85	विस्तार काउंटर
86	अनुषंगी कार्यालय
87	मोबाईल कार्यालय
88	सेवा शाखा#
89	मोबाईल एटीएम
90	ऑन-साईट एटीएम
91	ऑफ साईट एटीएम
92	प्रतिनिधि कार्यालय
93	विनिमय ब्युरो
99	कोई अन्य एनएआइओ (जो ऊपर शामिल नहीं)

यदि यह प्रशासनिक रुप से स्वतंत्र नहीं है।

अनुबंध IV

जनसंख्या के आधार पर केंद्रों का टीयर वार ब्योरा

(i) केंद्रों का वर्गीकरण (टीयर वार)	जनसंख्या (वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार)
टीयर 1	1,00,000 और उससे अधिक
टीयर 2	50,000 से 99,999 तक
टीयर 3	20,000 से 49,999 तक
टीयर 4	10,000 से 19,999 तक
टीयर 5	5,000 से 9,999 तक
टीयर 6	5,000 से कम
(ii) केंद्रों का जनसंख्या समूहवार वर्गीकरण	
ग्रामीण केंद्र	9,999 तक जनसंख्या
अर्ध-शहरी केंद्र	10,000 से 99,999 तक
शहरी केंद्र	1,00,000 से 9,99,999 तक
मैट्रोपॉलिटन केंद्र	10,00,000 और उससे अधिक

अनुबंध V

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का नाम :

टीयर 2-6 केंद्रों में छूट दिए जाने के बाद रिज़र्व बैंक के पूर्व अनुमोदन के बिना खोली गई शाखाओं की रिपोर्ट - _____ में समाप्त तिमाही की स्थिति

क्रम सं.	प्रायोजक बैंक का नाम	खोली गई शाखा के ब्यौरे। जिला ब्लॉक गांव का नाम	शाखा खोलने की तारीख	रिज़र्व बैंक को किए गए आवेदनपत्र की संदर्भ संख्या और तारीख	रिज़र्व बैंक द्वारा लाइसेंस जारी करने की तारीख
1	2	3	4	5	6

परिशिष्ट

मास्टर परिपत्र में समेकित परिपत्रों की सूची

सं.	परिपत्र सं.	तारीख	विषय
1.	भारिबैं /2014-15/281 ग्राआवि.केंका.आरआरबी.सं. 38/03.05.33/2014-15	29.10.2014	बैंकिंग सेवाओं के विस्तार द्वारा वित्तीय समावेशन - व्यवसाय प्रतिनिधियों (बीसी) का उपयोग
2.	भारिबैं/2013-14/570 ग्राआक्रवि.एफआइडी. बीसी. सं. 96/12.01.011/2013-14	22.4.2014	व्यवसाय प्रतिनिधि (बीसी) मॉडल का स्तर बढ़ाना - नकदी प्रबंधन संबंधी मुद्दे
3.	भारिबैं/2013-14/212 डीबीओडी.सं.बीएपीडी.बीसी. 46/22.01.009/2013-14	2.9.2013	बैंकिंग सेवाओं के विस्तार द्वारा वित्तीय समावेशन - बैंक नोट तथा सिक्कों के वितरण हेतु व्यवसाय प्रतिनिधियों (बीसी) का उपयोग - वैकल्पिक रास्ते
4.	भारिबैं/2013-14/175 ग्राआक्रवि.केका.आरआरबी. बीसी. सं. 18/03.05.33/ 2013-14	7.08.2013	बैंकिंग सुविधा रहित ग्रामीण केंद्रों में प्रमुखता से (फ्रंटलोडिंग) शाखाएं
5.	भारिबैं/2012-13/283 ग्राआक्रवि.केका.आरआरबी. बीसी. सं. 43/03.05.90/ 2012-13	6.11.2012	शाखा लाइसेंसीकरण नीति - बैंकरहितग्रामीण केन्द्रों में शाखाएं खोलना
6.	भारिबैं/2012-13/281 ग्राआक्रवि.केका.आरआरबी. बीएल.बीसी.सं.42/ 03.05.90/ 2012-13	2.11.2012	शाखा लाइसेंसीकरण पर मास्टर परिपत्र - क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक -संशोधन
7.	भारिबैं/2011-12/158 ग्राआक्रवि.केका.आरआरबी. बीएल.बीसी. सं. 19/ 03.05.90/2011-12	1.08.2012	शाखा लाइसेंसीकरण नीति में छूट - टीयर 2 केन्द्र
8.	भारिबैं/2011-12/157 ग्राआक्रवि.केका.आरआरबी. बीएल.बीसी. सं. 18/ 03.05.90/2011-12	1.08.2012	शाखा लाइसेंसीकरण की प्रक्रिया का सरलीकरण
9.	भारिबैं/2012-13/84 ग्राआक्रवि.केका.आरआरबी.बी	2.07.2012	बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 23 - शाखा लाइसेंसीकरण पर

	एल.बीसी.सं.05/03.05.90/ 2012-13		मास्टर परिपत्र - क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक
10.	भारिबैं/2012-13/77 डीबीओडी.सं. बीएल.बीसी.सं.26 /22.01.001 /2012-13	2.07.2012	बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 23 - शाखा प्राधिकरण पर मास्टर परिपत्र
11.	भारिबैं/2011-12/ 566 डीबीओडी.सं.बीएल.बीसी.105/ 22.01.009/ 2011-12	17.05.2011	वित्तीय समावेशन - कारोबारी प्रतिनिधि का उपयोग
12.	भारिबैं/2011-12/ 425 डीबीओडी.सं.बीएल.बीसी.82/ 22.01.009/ 2011-12	02.03.2012	बैंकिंग सेवाएं प्रदान करते हुए वित्तीय समावेशन - कारोबार प्रतिनिधि (बीसी) का प्रयोग
13.	भारिबैं/2010-11/451 ग्राआऋवि.केका.आरआरबी. बीसी.सं. 56/03.05.90-ए/2010-11	29.03.2011	बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 23 - शाखा लाइसेंसीकरण नीति में छूट
14.	भारिबैं/2008-09/283 ग्राआऋवि.केका.आरआरबी.बीसी. सं. 28/03.05.90-ए/ 2010-11	18.11.2010	बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 23 - शाखा लाइसेंसीकरण नीति में छूट
15.	भारिबैं/2010-11/ 217 डीबीओडी.सं.बीएल.बीसी. 43/22.01.009/ 2010-11	28.09.2010	बैंकिंग सेवाएं प्रदान करते हुए वित्तीय समावेशन - कारोबार प्रतिनिधि (बीसी) का प्रयोग
16.	भारिबैं/2009-2010/306 ग्राआऋवि.केंका.आरआरबी.सं. बीसी. 54/03.05.90ए/2009-10	05.02.2010	क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों द्वारा क्षेत्रीय कार्यालय खोलने हेतु नीति
17.	भारिबैं/2008-09/504 ग्राआऋवि.केका.आरआरबी.बीसी .सं.114/03.05.90-ए/008-09	18.06.2009	"नियंत्रक कार्यालय" का क्षेत्रीय कार्यालय के रुप में पुनर्नामकरण - क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक
18.	भारिबैं/2008-09/468 ग्राआऋवि.केका.आरआरबी. बीसी. सं.101/03.05.90-ए/ 2008-09	04.05.2009	"नियंत्रक कार्यालय" का क्षेत्रीय कार्यालय के रुप में पुनर्नामकरण - क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक
19.	भारिबैं/2008-09/285 ग्राआऋवि.केका.आरआरबी. बीसी. सं.61/03.05.90-ए/ 2008-09	17.11.2008	वर्ष 2008-09 के लिए वार्षिक नीति की मध्यावधि समीक्षा - शाखा लाइसेंसिंग - क्षेग्राबैं - आगे और उदारीकरण - नई शाखाएं खोलने की शर्तें

20.	ग्राआऋवि.केका.आरआरबी.सं. बीसी.28/03.05.90-ए/2007-08	09.10.2007	समामेलित क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक द्वारा नियंत्रक कार्यालय खोलना
21.	ग्राआऋवि.केंका.आरआरबी.सं. बीसी.25/03.05.90-/2007-08	21.09.2007	क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की शाखाओं का खोला जाना, स्थानांतरण और परिवर्तन - सेवा क्षेत्र दायित्वों से मुक्ति
22.	ग्राआऋवि.केका.आरआरबी.सं. बीसी.24/03.05.90-ए/2007-08	13.09.2007	सेटेलाइट कार्यालयों का परिपूर्ण शाखा में परिवर्तन
23.	ग्राआऋवि.केंका.आरआरबी.सं. बीसी22/03.05.90-ए/ 2007-08	04.09.2007	क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक द्वारा विस्तार काउंटर खोलना
24.	ग्राआऋवि.केंका.आरआरबी.सं. बीएल.बीसी.09/03.05.90-ए/ 2007-08	02.07.2007	बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 23 - शाखा लाइसेंसीकरण पर मास्टर परिपत्र - क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक
25.	ग्राआऋवि.केंका.आरआरबी.सं. बीसी.105/03.05.90-ए/ 2006-07	22.06.2007	बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 23 - शाखा लाइसेंसीकरण पर मास्टर परिपत्र -क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक
26.	ग्राआऋवि.केंका.आरआरबी. सं.बीसी. 102/03.05.90-ए/ 2006-07	15.06.2007	बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 23 - शाखा लाइसेंसीकरण पर मास्टर परिपत्र -क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक
27.	ग्राआऋवि.आरआरबी.बीएल. बीसी.90/03.05.90-ए)/2005-06	13.06.2006	वर्ष 2006-07 के लिए वार्षिक नीति वक्तव्य-क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के लिए शाखा लाइसेंसीकरण नीति को उदार एवं आसान बनाना
28.	ग्राआऋवि.आरआरबी.बीएल. बीसी.57/03.05.33(एफ)/ 2005-06	27.12.2005	क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के लिए विशेष पैकेज
29.	ग्राआऋवि.आरआरबी.सं.बीएल. बीसी. 10/03.05.90-ए/2005-06	06.07.2005	शाखा बैंकिंग सांख्यिकी- तिमाही विवरणियाँ प्रस्तुत करना - प्रोफार्मा I और II का संशोधन
30.	डीबीओडी.बीसी.सं.23/ 22.01.001/2000-01	12.9.2000	शाखाओं/विस्तार काउन्टरों का खोला जाना/स्थान परिवर्तन/ पहले लाइसेंस प्राप्त करना
31.	डीबीओडी.बीसी.सं.127/ 12.05.005/99-2000	30.11.1999	बैंकों द्वारा भारिबैं को प्रस्तुत की जाने वाली विवरणियों का औचित्य
32.	डीबीओडी.सं.बीसी.74/ 22.01.001/98	29.07.1998	ब्लॉक/सेवा क्षेत्र से बाहर ग्रामीण शाखाओं का स्थान परिवर्तन

33.	डीबीओडी.सं.बीएल.बीसी. 115/ 22.06.001/97	21.10.1997	शाखा बैंकिंग आंकड़े - मासिक विवरणियों की प्रस्तुति - प्रोफार्मा II और III का संशोधन
34.	ग्राआऋवि.आरआरबी.सं. बीसी. 111/03.05.65/96-97	22.03.1997	क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों द्वारा शाखाएँ खोलना
	डीबीओडी.सं.बीसी.64/ 22.01.001/95	05.06.1995	हानि वाली शाखाओं की पुर्नस्थापना तथा क्षेग्राबैंकों के शाखा नेटवर्क का औचित्य